



लोकज्योति मन्थन

चेतना

चतुर्थ अंक

जनवरी, १९६२



शहीद स्मारक, बिहार, पटना

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना
का कार्यालय

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्र मूर्तये ।

स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥

—नीतिशतकम्

अर्थात्

“समस्त दिशाओं और तीनों कालों में व्याप्त, अविनाशी, ज्ञानमय मूर्ति वाले, अपना अनुभव ही जिनकी सत्ता का साक्षी है, ऐसे शान्त और तेजस्वरूप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार ।”

+++++

आवरण - परिचय

मुख्य सचिवालय भवन, पटना के पूर्वी प्रवेश द्वार पर सात पराक्रमी युवक शहीदों की मानवाकार मूर्तियाँ । इन अमर शहीदों ने सन् 1942 के स्वतन्त्रता संग्राम में सचिवालय भवन पर भारत के तिरंगे झण्डे को फहराने के क्रम में अपने प्राण उत्सर्ग किए । यह 'शहीद स्मारक' के नाम से प्रसिद्ध है ।

चेतना

चतुर्थ अंक

जनवरी, १९९२

कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए छमाही गृह पत्रिका



लोफल्लिध मन्पनिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना

का कार्यालय

बीरचन्द पटेल मार्ग,

पटना - ८०० ००१

चैतनापरिवार

संरक्षक

: श्री नरेन्द्र सिंह

महालेखाकार (ले० एवं ह०) ॥, बिहार, पटना

प्रकाशन परामर्शदातृ समिति : श्रीमती माला सिन्हा

वरिष्ठ उपमहालेखाकार (जी० ई०) लेखा

: श्री राम सेवक सिंह

उप महालेखाकार (प्रशासन) लेखा

: श्री जगदीश प्रसाद

लेखा अधिकारी, बिहार, पटना

संपादक मंडल

: श्री सतीश चन्द्र सिन्हा

लेखा अधिकारी-प्रधान संपादक

: श्री डॉ० जितेन्द्र कुमार

अनुभाग अधिकारी, हिन्दी कक्ष-संयुक्त संपादक

प्रकाशक

: महालेखाकार

(ले० एवं ह०) ॥, बिहार, पटना - ८०० ००१

महालेखाकार का सन्देश

किसी भी राष्ट्र का अपनी मातृभाषा के प्रति नतमस्तक होना स्वाभाविक है। देववाणी संस्कृत की ज्येष्ठ सुता "हिन्दी" हम कोटि - कोटि भारतवासियों की मातृभाषा है। तभी "हिन्दी" भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में पदासीन है। यही कारण है कि हम हिन्दी के प्रति पूर्णरूपेण आसक्त हैं। हिन्दी को अनवरत बलवती बनाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इसी उद्देश्य से इस कार्यालय से हिन्दी पत्रिका "चेतना" प्रकाशित की जाती है। राजभाषा हिन्दी के पीछे को पुष्पित एवं पल्लवित करने में इस पत्रिका ने एक छोटे-मोटे उर्वरक का काम किया है। इस बात के लिए मुझे हादिक प्रसन्नता है कि पत्रिका का यह चतुर्थ अंक विज्ञ एवं सहृदय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं उन समस्त रचनाकारों को हादिक शुभकामनाएँ देता हूँ जिन्होंने लेख, कविता, चुटकुला, संस्मरण, यात्रा - वृत्तान्त आदि रचनाओं से पत्रिका को समृद्ध किया है और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वे अपनी अच्छी रचनाओं से पत्रिका की गरिमा को बढ़ाते रहेंगे।

हमारी पत्रिका "चेतना" राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों की चेतना जगाती रहे यही हमारी कामना एवं अन्नभांवना है।

नरेन्द्र सिंह

महालेखाकार (ले० एवं ह०) II, बिहार, पटना।



वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) जी० ई० एवं पेन्शन, बिहार, पटना का सन्देश

इस बात के लिए अपार हर्ष है कि कार्यालय से हिन्दी पत्रिका का चतुर्थ अंक प्रकाशित होने जा रहा है। इस पत्रिका ने कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

पत्रिका का यह अंक राष्ट्रभाषा हिन्दी को समर्पित यह चौथा पुष्प है। पत्रिका के समस्त रचनाकारों ने इसे भावप्रद, ज्ञानवर्द्धक एवं रुचिकर बनाने का पूरा प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग से यह पत्रिका दिनानुदिन उन्नति करेगी। मैं पत्रिका के रचनाकारों एवं सम्पादक-मंडल को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।

माला सिन्हा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (जी० ई० एवं पेन्शन)
बिहार, पटना।

✽

उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) प्रशासन, बिहार, पटना का सन्देश

एक लम्बे अन्तराल के उपरान्त चेतना का चौथा पुष्प मुझे आपके सामने प्रस्तुत करने में अपार हर्ष हो रहा है। पूर्व के अंकों के प्रकाशन और वितरणोपरान्त पत्रिका परिवार को अपने प्रशंसनीय मन्तव्य भेजकर अनेक पाठकों, लेखकों, समीक्षकों ने हमारा उत्साहवर्द्धन किया है। पत्रिका - परिवार, संरक्षक, परामर्श समिति तथा संरचनाकारों की तरफ से मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास भी है कि पाठक-गण, इस पत्रिका की शैशवावस्था में, हमारी त्रुटियों पर ध्यान न देकर, इसी प्रकार भविष्य में भी हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे।

राम सेवक सिंह

उप-महालेखाकार प्रशासन, बिहार, पटना।

सम्पादकीय

चेतना का चतुर्थ अंक आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। कतिपय अपरिहार्य कारणवश पत्रिका का यह अंक समय पर प्रकाशित नहीं हो सका। फिर भी हमारे प्रयासों की सीमा में जहाँ कहीं राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का प्रश्न आया है अथवा प्रयोग को बढ़ावा देने की बात आई है पत्रिका ने अब तक प्रकाशित अंकों द्वारा इस आशय की जिम्मेवारी निभाई है।

यह सच है कि कार्यालयों द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना है तथापि इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो पाएगी जब अधिक से अधिक कर्मचारी पाठक एवं लेखक के रूप में उभरें। पत्रिका के इस अंक के लिए सभी लेखकों, विचारकों एवं कवियों के प्रति हम साधुवाद देते हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य रचनाओं से योगदान दिया है। इसके साथ ही हम उन सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने पत्रिका के पूर्व अंकों को आद्योपांत पढ़ा और अपने महत्वपूर्ण सुझावों तथा आशीर्षकों द्वारा हमें अनुगृहीत किया। उत्कृष्ट रचनायें अन्य राज्यों के रचनाकारों के द्वारा जब कभी प्राप्त होती हैं उनका पत्रिका परिवार सहर्ष स्वागत करता है तथा यथेष्ट स्थान पत्रिका के अगले प्रकाशनों में भी सदैव देता रहेगा।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए संपादक मंडल श्री नरेन्द्र सिंह, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) II, बिहार, पटना के प्रति आभार प्रकट करता है क्योंकि आप हमारे हितचिंतक और मार्गदर्शक रहे हैं। राजभाषा के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा से तथा विशेषकर पत्रिका प्रकाशन में प्रगाढ़ रुचि जो आपने प्रदर्शित की है वह अत्यन्त उत्साहवर्द्धक एवं अनुकरणीय रही है।

अंततः पाठक मित्र “निज कवित्त कोहे लागन नीका, सरस होत अथवा अति फीका”—गोस्वामी सन्त शिरोमणि तुलसीदास के इस अर्द्धाली से अधिक कुछ भी कहना सार्थक नहीं है। सर्वोपरि है कि हम हमेशा ही आपके दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और सटीक मार्गदर्शन पाकर संभलने की चेष्टा करते हैं।

राजभाषा हिन्दी के प्रति जो स्नेह आपके हृदय में है उसे ही मेरा नमन।

(सतीश चन्द्र सिन्हा)

प्रधान संपादक



अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विषय	रचना के प्रकार	रचयिता	पृष्ठ सं०
१.	महालेखाकार का संदेश			३
२.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) जी० ई० एवं पेन्शन, बिहार, पटना का सन्देश			४
३.	उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) प्रशासन, बिहार, पटना का सन्देश			४
४.	सम्पादकीय			५
५.	अनुक्रमणिका			६
६.	आपके पत्र			७
७.	एक मेरे नाम		कविता सुश्री सुमन टिग्गा	८
८.	हिन्दी एवं राष्ट्रीय एकता	लेख	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 'नाहर'	९
९.	पैसा	कविता	श्री गिरिजा नन्दन	१३
१०.	हिन्दी ज्ञान दीपिका—“क” एवं “ख”			१४
११.	भारत का सांस्कृतिक परिवेश	लेख	श्री सतीश चन्द्र सिन्हा	१५
१२.	वसुधरा पुकारती	कविता	आर० बी० दास	१९
१३.	नव वर्ष	कविता	श्री राम बाबू राम	२०
१४.	'शिमला' एवं उसके कतिपय निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों की	संर-लेख	डॉ० जितेन्द्र कुमार	२१
१५.	नूतन सवेरा	कविता	श्री जगन्नाथ प्रसाद मेहता	२७
१६.	सन्त सन्देश	लेख	श्री ओम प्रकाश सिंह	२९
१७.	हास्य	चुटकुला	श्री पुरुषोत्तम कुमार राजगृहार	३२
१८.	जाँच प्रतिवेदन, इसकी विषय सूची, जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही—लेख—श्री एम० एन० हक			३३
१९.	हमारा जीवन स्तर	लेख	श्रीमती एलेन मेरी टुडू	३८
२०.	संवेदना	कविता	श्री पियुष ओझा	४०
२१.	बिहार में मुसलमानों के यहाँ गाए जाने वाले लोक गीत	लेख	श्रीमती अपराजिता सिंह	४१
२२.	गणित का खेल	कविता	श्री शशिभूषण प्रसाद	४६
२३.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन			४८

सम्पादकीय एवं अन्य रचनाओं में व्यक्त विचारों से प्रशासन का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
रचनाओं की मालिकता के लिए रचनाकार स्वयं उत्तरदायी हैं।

आपके पत्र

“चेतना” के तृतीय अंक की एक प्रति प्राप्त हुई, इसके लिए धन्यवाद । पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक एवं ज्ञानवर्द्धक हैं । पत्रिका के माध्यम से हिन्दी के प्रचार-प्रसार का कार्य और सुलभ एवं सरल बन सकेगा, यह विश्वास है । पत्रिका में समाविष्ट लेख, निबन्ध, संस्मरण, कविता और व्यंग्य लेख आदि सामग्री उच्चस्तरीय हैं । राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु सम्पादकीय मंडल का योगदान अति सराहनीय है एवं इस सराहनीय कार्य के लिए वे बधाई के पात्र हैं ।

भविष्य में कामना करते हैं कि हिन्दी पत्रिका “चेतना” निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होकर पाठकों के मन में चेतना जगाने में सहायक सिद्ध होगी ।

भुवनेश्वर,
२९-५-९१

अजीत कुमार पटनायक,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, उड़ीसा, भुवनेश्वर

“चेतना” पत्रिका का तृतीय अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद ।

पत्रिका में संकलित समस्त रचनाएँ उत्तम, ज्ञानवर्द्धक तथा रोचक हैं । रचनाकार एवं सम्पादक-मण्डल बधाई के पात्र हैं । “विश्व को भारतीय संस्कृति की देन” लेख अति प्रिय लगा । मैं पत्रिका की उन्नति की कामना करता हूँ ।

हिमाचल प्रदेश
१-५-९१

राजेन्द्र टण्डन,
लेखा अधिकारी (हिन्दी)
वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) हिमाचल प्रदेश
का कार्यालय

हिन्दी पत्रिका “चेतना” का तृतीय अंक सहर्ष प्राप्त हुआ । एतदर्थ धन्यवाद । इस अंक में प्रकाशित रचनाएँ सरल, सुबोध तथा ज्ञानवर्द्धक हैं । चेतना की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

नि० सेनगुप्त

कलकत्ता
२-५-९१

लेखा परीक्षा अधिकारी, अभिलेख/हिन्दी सेल
महालेखाकार (ले० प०) द्वितीय, प० बंगाल कलकत्ता का कार्यालय

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएँ रोचक एवं पठनीय हैं । विशेषकर श्री सतीश चन्द्र सिन्हा द्वारा प्रस्तुत निबन्ध “लोक लेखा समितियाँ” महत्वपूर्ण है । “चेतना” में प्रकाशित सामग्री के चयन एवं कुशल सम्पादन हेतु सम्पादकीय परिवार बधाई के पात्र हैं ।

आपकी पत्रिका राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में दिनोदिन प्रगति करती रहे, इस शुभकामना के साथ ।

वागपुर
६-५-९१

रुपेन्द्र नाथ घोष
उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार (ले० प०) II, महाराष्ट्र, वागपुर का कार्यालय

एक मेरे नाम

□ सुश्री सुमन तिग्गा,
वरिष्ठ लेखाकार

पूछ बैठता है कोई जब, भूले से कभी
नाम मेरा

खामोश लफ्जों में कहा करती हूँ
लो देखो !

दूर पहाड़ की चोटियों पर
बस्ती और आबादियों से दूर
बहारों में झूमता फूल हूँ

या किसी बयावान जंगल से
गुजरते हुए कभी देखा होगा
पलास और कचनार का फूल
जिस तक कोई मुसाफिर पहुँचता नहीं
और सुनसान लम्बी सड़क के दोनों किनारे
ऊँची दरख्तों में खिला हुआ

मस्त खुशहाल गुलमोहर
या घाटी का मुस्कुराता हुआ
गरीस फूल, वही तो हूँ मैं
हाँ बही जो बहार आने पर खिलते
और खिजां के साथ जाते हैं
वैसे चाहो तो

“सुमन” कहकर पुकार ली मुझको



हिन्दी एवं राष्ट्रीय एकता :-

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह "नाहर"

वरिष्ठ लेखाकार

निधि—आर० भी०

हिन्दी एक सरल, सशक्त एवं जीवंत भाषा है। इसकी समृद्ध परम्परा और प्रवहमान सामाजिकता उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूर्व में भागलपुर से लेकर पश्चिम में अमृतसर तक फैली हुई है। इसका प्रयोग साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल-कॉलेज, प्रशासन, संसद और विधान-मण्डलों में प्रतिदिन किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय संघ की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी आज सारे देश की भाषा है। इतना ही नहीं, हिन्दी आज एक राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है, बल्कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी बन चुकी है। अबतक के हुए तीन विश्व हिन्दी सम्मेलनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हिन्दी भाषा मानव के शोषण के विरुद्ध प्रभावशाली अभियान का माध्यम बन सकती है और समस्त मानव जाति को सेवा का सन्देश दे सकती है। वस्तुतः हिन्दी सजीवता तथा संवर्धन को साथ लेकर विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। यह वर्तमान को पूर्णतया प्रतिबिम्बित कर रही है और साथ-ही-साथ नयी परिस्थितियों, अराजकता एवं किल्लोल को भी प्रतिबिम्बित कर रही है।

हिन्दी आर्यभाषा "संस्कृत" की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे ऋषि-मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय-समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम काव्यकृति "ऋग्वेद" में देखने को मिलता है। यह "आर्यभाषा" अथवा "देवभाषा" "संस्कृत" लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। हिन्दी इसी भाषा की उत्तराधिकारिणी है।

सन् 1000 से भारतीय आर्यभाषा नये युग में प्रवेश करती है। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा का चरम विकास "अपभ्रंश" में हुआ। जब वररुचि—जैसे प्राकृत के वैयाकरणों ने प्राकृतों को व्याकरण के साँचे में ढाल दिया तो लोकभाषा (अपभ्रंश) ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी, जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। अपभ्रंश के अनेक नाम प्रचलित हैं—ग्रामीण भाषा, देशी, देशभाषा, अपभ्रंश, अपहंस, अवहत्थ, अवहट्ठ, अवहट्ठ, अवहट्ठ आदि। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ई० से 1000 ई० तक के काल को "अपभ्रंशकाल" कहा गया है। आधुनिक आर्यभाषाओं—हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और उड़िया आदि की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। एक तरह से ये अपभ्रंश भाषाएँ प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ियाँ हैं। हिन्दी का जन्म इसी मध्यदेश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ है। हिन्दी की मूल उत्पत्ति शीघ्र सती अपभ्रंश (पश्चिमी हिन्दी) से मानी गयी है। हिन्दी के अन्तर्गत उसके ये रूप अत्यधिक प्रचलित हैं—

पश्चिमी हिन्दी—ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी ।

पूर्वी हिन्दी—अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी ।

पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ—पश्चिमी, मध्य और नेपाली बोलियाँ ।

हिन्दी वस्तुतः संस्कृत का नहीं, बल्कि फारसी का शब्द है । इस भाषा के नामकरण की कथा बड़ी दिलचस्प है । यों तो हिन्दी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, परन्तु उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया । सचमुच, हिन्दी किसी सम्प्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है, इसपर सबका समान अधिकार है । जब तक मुसलमान भारत में नहीं आये तबतक “हिन्दी” शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा । व्यापक अर्थ में “हिन्दी” हिन्द या भारत से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिन्द या भारत में बोली जानेवाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी । ईरानियों के प्राचीनतम धर्म पुस्तक “अवेस्ता” में हिन्दी, “हिन्दू” और “हिन्दुस्तान” शब्द मिलते हैं । कुछ लोग “हिन्दी” का सम्बन्ध “सिन्धी” से जोड़ते हैं, क्योंकि ईरानी लोग “स” का उच्चारण “ह” की तरह करते थे । आठवीं सदी तक ईरानियों द्वारा “हिन्दी” शब्द का प्रयोग हो गया था । ईरान से ही “हिन्द” और “हिन्दी” शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुए । किन्तु, इस प्राचीन व्यापक अर्थ में “हिन्दी” शब्द का प्रयोग अब नहीं होता । भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राज-भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में किया है ।

‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में भी किया गया है । शुरू में हिन्दी फारसी और देवनागरी लिपियों में लिखी जाती थी । कुछेक मुसलमानों ने ‘हिन्दी’ या ‘हिन्दवी’ की उस शैली का भी प्रचार किया, जिसकी परम्परा फारसी लिपि और उच्चारण में दिल्ली के आसपास वर्तमान थी । दक्खिनी हिन्दी के मुसलमान कवियों ने हिन्दी को एक विशिष्ट शैली में ढाला, जो आगे चलकर उर्दू की चीज समझी जाने लगी । हिन्दुओं और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, हिन्दी मुसलमानों से दूर होती गयी और उसके स्थान पर एक नयी भाषा “उर्दू” गढ़ ली गयी, जिसे बाद में हिन्दी-वालों ने हिन्दी की ही एक शैली मान लिया ।

1800 ई० में जब अंगरेज भारत आये तो उन्होंने ‘हिन्दी’ को ‘हिन्दुस्तानी’ की संज्ञा दी । फलतः भाषा सम्बन्धी एक नयी उलझन पैदा हो गयी । लेकिन, तबतक हिन्दी अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो चुकी थी । यदि भारत का नाम ‘हिन्द’ है तो इस देश की राष्ट्रभाषा का नाम ‘हिन्दी’ ही होगा । हमारे देश का नाम हिन्दुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश केवल हिन्दुओं का नहीं है । ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा को भी ‘हिन्दुस्तानी’ की संज्ञा से विभूषित नहीं किया जा सकता । डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने बड़ा ही अच्छा कहा है, “हिन्दी एक महान सम्पर्क-साधक भाषा है ।” — बंगाल के सुधी महापुरुषों ने भी इसकी गौरव-गरिमा को पहचाना है । 1875 ई० में बाबू केशवचन्द्र ने लिखा — “हिन्दी भाषा प्रायः सर्वत्र-ई प्रचलित ।” ‘बाबू बकिमचन्द्र चटर्जी ने 1876 ई० में ‘बगदर्शन’ में लिखा, ‘हिन्दी शिक्षा ना करिले कोनो क्रमे-ई जलिवे ना ।’

इस तरह हम देखते हैं कि हिन्दी भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की सम्पर्क भाषा है, साधु-सन्तों की भाषा है और है देश की—भारत की—केन्द्रीय शक्ति । ऐसी विकसित भाषा का

क्षेत्र कभी सीमित नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज हिन्दी भाषा को संसार की भाषाओं में तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या चालीस करोड़ के आस-पास है। भारत के बाहर अर्थात् बर्मा, लंका, मारिशस, फीजी, मलाया, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका में भी हिन्दी बोलनेवालों की संख्या काफी है।

हिन्दी हमारे देश में युग-युग से विचार-विनिमय का सशक्त माध्यम रही है। यह केवल उत्तरी भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों—बल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानन्द आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धान्तों और मतों का प्रचार-प्रसार किया था। हिन्दी भाषा के माध्यम से जगत् को प्रेम, बन्धुत्व और आध्यात्मिक नवजागरण का संदेश मिला है। यह भौतिक शक्ति और बल का सन्देश नहीं है, यह तो मानवता के विभक्त हृदयों को एक दूसरे के निकट लाने का सन्देश है, हृदयों के संगम का संदेश।

हिन्दी प्रारम्भ से ही समन्वय और एकता की भाषा रही है। कबीर, नानक और जायसी, सूर, तुलसी और रहीम, मीरा रसखान और धनानन्द—इन सब महान कवियों का उद्देश्य ही था जन-जीवन को अध्यात्म सूत्र में पिरोना। इन सबने अधिकांश हिन्दी का ही प्रयोग किया, क्योंकि उस समय भी यह भारत के बहुत बड़े भू-भाग की भाषा थी। उस काल के कवियों ने हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सभी के बीच एकता और समन्वय का अमर सन्देश दिया। उनको चाहे कटु आलोचना का सहारा लेना पड़ा हो, चाहे प्रेम की भाषा का, उद्देश्य एक ही था—धर्म समाज और साधना के क्षेत्र में घुस आई कुरीतियों और दम्भ का निराकरण तथा समन्वयकारी तत्वों की प्रतिस्थापना।

हिन्दी की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। इसमें सर्वेक्य और समन्वय की धारा निरन्तर चलती आई। जब कभी संकट आया, जहाँ कहीं उसका तिरोभाव हुआ वहीं हिन्दी पुनः एक नये वेग से प्रस्फुटित हुई। यह विदेशी आक्रमण और विदेशियों के शासन-काल में भी प्रेम और समन्वय के पथ पर ही आगे बढ़ती गई। आधुनिक युग में इस धारा को जहाँ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नया मोड़ दिया, वहाँ रत्नाकर और हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' और सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा तथा रामधारी सिंह 'दिनकर' एवं मुंशी प्रेमचंद और वृन्दावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञेय जैसे साहित्यकारों ने भी समस्त मनन, चिन्तन एवं हृदय-मंथन के अनन्तर नए युग के अनुरूप नई चेतना का स्वागत हिन्दी के माध्यम से किया। इनका सन्देश भौतिक तर्क जाल से मुक्ति और भय-संशय-जर्जर विश्व के लिए आशा का पीयूष था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्री अरविन्द और महात्मा गांधी जैसे युग-द्रष्टा और निर्माताओं से हिन्दी का साहित्यकार सदैव प्रभावित होता रहा है। हिन्दी की इसी प्रभावशीलता को लक्ष्य करते हुए द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मारिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री शिवसागर रामगुलाम ने कहा था—'मारिशस में हिन्दी का विकास हमारे समाज के इतिहास का दस्तावेज है। हमारे पूर्वज खाली हाथ आये। उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। उन्होंने बहुत दुःख उठाया। जानवरों की तरह रात-दिन खेतों में काम किया, दुःख झेला पर अपनी आत्मा को हमेशा ऊँचा रखा। इसका कारण था कि उनके पास अपनी भाषा—हिन्दी थी।'।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी एक सहज-सरल, सशक्त एवं सजीव भाषा है। विविध देशों में यदि इसी प्रकार विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित होते रहे और हिन्दी की प्रमुख समस्याओं पर ठोस एवं व्यावहारिक सुझाव प्राप्त होते रहे तथा उनका सुदृढ़ संकल्प के साथ कार्यान्वयन होता रहा तो निश्चित रूपेण हिन्दी के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी। संभाषनाओं के द्वार खुल रहे हैं। भारत सरकार प्रयत्नशील है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को यथोचित स्थान प्राप्त हो सके। हम आज आशान्वित हैं कि हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी अपना एक सुनिश्चित स्थान बना सकेगी।



“हिन्दी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है और हिन्दी अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे अधिक राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है।”

—पं० जवाहर लाल नेहरू

“अंग्रेजी को चालू रखना अपमानजनक है।”

—लाल बहादुर शास्त्री

“हिन्दी, हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।”

माखनलाल चतुर्वेदी

“हिन्दी, विश्व की महान भाषा है।”

—राहुल सांकृत्यायन

“हिन्दी अब सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन गयी है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए।”

—सरदार बल्लभ भाई पटेल

पैसा (सानेट)

□ श्री गिरिजा नन्दन

सेवानिवृत्तअनुभाग अधिकारी

सूरज ने पूछा पृथ्वी से कह री, रूप मनुज का कैसा ?
 किस पर टिका हुआ है सारा नर का यह विस्तार निराला ?
 किस से शासित होता रहता चोटी, दाढ़ी, पगड़ी वाला ?
 अविरल चक्कर काट रही तब धरती बोली वह तो पैसा ।

पैसा ? हाँ जिसके अभाव में मानव भूखा मर जाता है—
 बिना अन्न और बिना दवा के घुल-घुल कर तिल-तिल जल-जल कर,
 महा ब्रह्म के सिंहासन पर जा बैठा यह सहज उछल कर,
 पैसा जिसके बल पर पापी नर वैतरणी तर जाता है ।
 छूरा तान रहा है देखो व्यक्ति उचक पैसों के खातिर,
 घूम रहे हैं सभ्य वेश धर नर वंचक पैसों के खातिर,
 पैसों पर ईमान बिक रहा सत्य ज्ञान, साध की गठरी
 जल रहे हैं धर्म-जाल में जन-भ्रामक पैसों के खातिर ।
 मरनासन्न मानवता लेटी बची हुई है केवल ठठरी,
 जाने कौन हरेगा तेरी मानवते पीड़ा उत्कट, री ।

+++++

 * * * * *
 * “कोई भी देश विदेशी भाषा द्वारा न तो उन्नति ही कर सकता और *
 * न अपनी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति ही कर सकता है ।” *
 * * * * *
 * —डॉ० राजेन्द्र प्रसाद *
 * * * * *

हिन्दी ज्ञान दीपिका—“क” और “ख”

“क”

निम्नलिखित अनुच्छेदों (“क” और “ख”) को सावधानी से पढ़िए। इनमें अनेक गलतियाँ हैं। कृपया हिन्दी में दक्षता गलतियों को पता लगाकर देखें।

मेरे राह में रोड़ा न खड़ा करो—यह कहकर वह सकुशलतापूर्वक घर लौट गया। इसके बाद एक-एक कर सभी चला गया। मगर किसी ने चलते-चलते खबर किया कि सुरेन्द्र बाबू को लड़का हुआ है। यह बात कोई से मत कहना क्योंकि वहाँ सघन भीड़ एकत्रित थी। यह जानकर उसका प्राण डर से सुख गया। धिरे से पूछा कि तुम्हारे घड़ी में कै बजा है। उत्तर मिला कि तीन बजा है। खैर मैं तो चला किन्तु कोई काम में शीघ्रता मत करो।

असहनीय गर्मी से वह चिंतित था और सोच रहा था कि सायंकाल के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने वाला वह वास्तव में बड़ा छुद्र है। अब तो चालीस वर्ष की आयु में ही बूढ़ा हो गया है, शायद इससे ही कहता है “कृपया धूम्रपान नहीं करें”। अंत में जब जेब टटोला लिफाफा मिला।

“ख”

हम जानते हैं, विलायत को अपनी सायन्स पर नाज है। वह नाज उसे मुबारक रहे। हम भी सायन्स के करीशमे देखकर दंग हैं। वह उसी का सान है कि आज इतना लम्बी-चौड़ी दुनिया सीमट कर हमारे मुट्ठी के भितर आ गयी। मगर हाँ, वह मुट्ठी हि तक रहि, छाति तक नहीं उतरी। आदमि को तो उसने आशमान पर उड़ा दिया, पर साथ-साथ उसकी दील को ऊँचा उठा नहीं सका। उसने बल को तो बढ़ाया, पर दिल को बढ़ने नहीं दीया। वह बढ़ता हुआ बल दिल को भि ढक लेता है।

आज क्या रवैया है? इधर आदमी की तरक्की है, उधर आदमियत की तबाही। इधर दिमाग का बोलबाला है, उधर दिल का दीवाला है। इधर लिफाफे की रंगीनी बढ़ रही है, उधर खत की मजमून बिगड़ रही है। राजनिति हँस रही है, निती रो रही है।

बल ताल ठोकती है, शील कपाल ठोकती है।

उक्त दो अनुच्छेदों में पैंतीस-पैंतीस गलतियाँ हैं।

- १ से १० शब्दों तक की गलतियों को पकड़नेवाले—साधारण
- ११ से २० शब्दों तक की गलतियों को पकड़नेवाले—कुशल
- २१ से २५ शब्दों तक की गलतियों को पकड़नेवाले—प्रवीण
- २६ से ३५ शब्दों तक की गलतियों को पकड़नेवाले—दक्ष।

भारत का सांस्कृतिक परिवेश

(मुख्यालय द्वारा चयनित विषय)

□ श्री सतीश चन्द्र सिन्हा

लेखा अधिकारी

विश्व में सभ्यता के अरुणोदय काल से अबतक भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा एक चिन्तनीय विषय रही है। इस महान देश भारत की महानता न केवल इसके आकार प्रकार, विशालता, इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृतिक संपत्ति, इसके सौन्दर्य में है, बल्कि इसकी सभ्यता की प्राचीनता, इसकी उदार संस्कृति, इसके गंभीर तत्त्वज्ञान, इसके लम्बे इतिहास के कारण भी है। इस देश के सांस्कृतिक परिवेश का विश्लेषण तभी सम्भव होगा जब यह जानें कि संस्कृति है क्या? शब्दकोष उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है—“संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कहीं गई हैं उनसे अपने आपको परिचित करना संस्कृति है।” यह “सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में, संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है, जो बुनियादी और अंतर्राष्ट्रीय है। फिर संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय पहलू भी होते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं रह जाता है कि भारत देश भी अनेक अन्य राष्ट्रों की तरह अपना कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व तथा अपने भीतर कुछ ढंग के मौलिक गुण विकसित कर लिए हुए है।

भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर-विरोधी और प्रतिद्वन्दी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति है, जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है और दूसरी वह, जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है—जा एक बात को दूसरे से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस प्रकार भारत के इतिहास में आप दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं। एक तो सातव्य का सिद्धांत है और दूसरा परिवर्तन का। समाजशास्त्र के अनुसार ये दोनों सिद्धांत परस्पर-विरोधी-से लगते हैं, परन्तु ये विरोधी हैं नहीं। सातव्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है। इसी प्रकार, परिवर्तन भी अपने भीतर सातव्य का कुछ अंश लिए रहता है। इस दृष्टि से देखने पर भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्राक्या रही है, जो परंपरा के आवरण में लागातार चलती रही है। बाहर से अचल के दीखनेवाली परंपरा भी जब तक जड़ता का शिकार नहीं हुई है तो धीरे-धीरे वह भी परिवर्तित होती रहा है जिसका शब्द चित्रण आप यहां पाएंगे।

भारतीय संस्कृति डेल्टा पर जन्मे हुए अनेक बालुका-स्तरों की भाँति नाना साधनाओं और संस्कृतियों के योग से बनी है। आर्यों के आने के पहले इस देश में सभ्यतर द्रविड़ जाति बस रही थी। राजनीतिक रूप में विजित होने पर भी उनकी संस्कृति विजयी हुई। आर्य इस देश में उसी प्रकार नवागंतुक थे, जिस प्रकार शक, हूण आदि अन्यान्य विदेशी जातियाँ समय समय पर आईं और अपने सारे आचार-विचार के साथ

यहीं की हो रहीं। उपनिषदों का बहुधा विधापित अध्यात्मवाद आर्य की अपेक्षा आर्येतर अधिक है। अर्थात् भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपमरण आर्यों और आर्यों से पहले के भरतवासियों, खासकर, द्रविड़ों के मिलन से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति करती है। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन् भारत की संस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अबतक संस्कृत यहाँ की जनता की बोनी जानेवाली भाषा कभी नहीं रही है, फिर भी सारे भारतवर्ष पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है। कुछ दूसरे प्रभाव की भारत पहुँचे और उनसे भी विचारों और अभिव्यक्तियों को नई दिशाएँ प्राप्त हुई। भारत में, आर्यों के आगमन के बाद, बाहरी लोगों के जो आगमन हुए, उनके दायरे बहुत सीमित थे। उनका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ा किन्तु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लेकिन, यह पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है कि ऐसे परिवर्तन भारत में भी हुए हैं। वर्तमान भारतवर्ष का धर्ममत अधिकांशों में आर्येतर सिद्धान्तों से प्रभावित हुआ है।

परन्तु सबसे अधिक आर्येतर सन्ध्य साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजन्ता में चित्रित, सांची, भारहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियाँ आर्येतर सभ्यता और समृद्धि के परिचायक हैं।

इस प्रकार मूल में भारतीय संस्कृति कई बलवती सभ्यताओं के योग से बनी। आर्य, द्रविड़ और किरात कोल सभ्यताओं की त्रिवेणी से इस महाधारा का आरंभ हुआ। बाद में अनेक सभ्य, अर्द्धसभ्य और अल्प-सभ्य जातियों की संस्कृतियाँ, धर्म-मत, आचार, परम्परा और विश्वास इसमें घुसते गए। भारतीय ज्योतिष, जो हमारी संस्कृति के निर्माण का एक जबरदस्त अंग है, बहुत कुछ यवनों (ग्रीकों) बबरो (बैबीलोनियों), असुरों (असीरियनों) के विश्वास से प्रभावित है। समाजशास्त्र के विद्वानों ने अब विश्वास दिलाना प्रारम्भ किया है कि बालगोपाल की पूजा, जाटों, गुजरात और अहीरों के पूर्वज किसी घुमक्कड़ जाति की देन है। मध्य युग की भारतीय संस्कृति एक हद तक फारस के सूफियों तथा अन्य मुसलमानी पीरों के धर्ममत से प्रभावित हुई थी। यहाँ की संस्कृति का क्रमवार विकास पारस्परिक सम्पर्क से होता गया। आप उदाहरण लें अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो सूफी कविता, उर्दू भाषा और मुगल-कलम की चित्रकारी यहाँ नहीं खिली होती। अगर यूरोप से भारत का सम्पर्क नहीं हुआ होता, तो विज्ञान का प्रचार यहाँ देर से होता और ब्रह्म समाज, आर्य-समाज, थियोसाफी-समाज और राम कृष्ण तथा विवेकानन्द का जन्म होता या नहीं, यह संदिग्ध है।

भारत की यह सांस्कृतिक एकता, मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न हुई। पहला कारण तो भारत का भूगोल है, जिसने उत्तर और पूरव की ओर पहाड़ों से तथा दक्षिण और पश्चिम की ओर समुद्रों से घेरकर भारत को स्वतंत्र भूभाग का रूप दे दिया है। इसे, इस एकता का एक प्रमुख कारण हिन्दू-धर्म भी है, जो किसी भी विश्वास-विशेष के लिए दुराग्रह नहीं करता, जो सहिष्णुता स्वाधीन चिन्तन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का संसार में सबसे बड़ा हामी रहा है। ईश्वर को मानो या न मानो, उपासना साकार की करो या निराकार की अनेक देवताओं में विश्वास रखो या फिर किसी भी देवता को मत मानो, किन्तु कोई नहीं निकालेगा।

बहुत दिनों तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण भारत का स्वभाव भी और देशों से भिन्न हो गया। हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती है। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया, जिन्हें बाहर के लोग न तो जानते हैं, न समझ ही पाते हैं। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण हैं। किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ खाने-पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी को क्या उज्र होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। हममें से बहुत लोग इन सारी बातों को स्वयंसिद्ध मानते हैं और हम यह समझ ही नहीं पाते कि इन बातों से दूसरे देश वालों को कितना आश्चर्य होता है, उनकी भावना को कैसी ठेस पहुँचती है। इस प्रथा का मात्र एक ही संकुचित रूप नहीं रहा था बल्कि निन्दित और त्याज्य होने के बावजूद भी विभिन्न देशों से आनेवाले लोगों को एक समाज के भीतर बिठाने में इस प्रथा ने, एक समय बड़ा काम किया था। जाति-प्रथा का एक पक्ष सांस्कृतिक भी है। इसी से जिस जाति को ऊँची संस्कृति तक जाने की कामना होती है वह आज भी क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व का दावा करने लगती है। अतएव, बाहर से आनेवाले जिस समूह का, जो सांस्कृतिक स्तर था, आयों के यहाँ उसे उसके अनुरूप स्थान अनायास मिल गया।

हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न सम्प्रदायों का उत्थान-पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए, हमपर प्रकृति और मानवों ने अनेकों बार मुसीबतों के पहाड़ ढाह दिए, पर फिर भी हमलोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। पीछे चलकर, यह संस्कृति उत्तर-पश्चिम से आनेवाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आनेवाले लोगों से बार-बार प्रभावित हुई। परन्तु भारतीय संस्कृति ने भेद की समस्या को उस ढंग से नहीं सुलझाया जिस ढंग से अमरीका आदि नए देशों में सुलझाया गया है। अमरीका-प्रवासी यूरोपियनों ने वहाँ के आदिम अधिवासियों को वेदों के साथ कुचल दिया, उनका अस्तित्व ही नहीं रहने दिया। जो सभ्यता सबको पीसकर एक कर देना चाहती है, उसके प्राण में बहुत्व है, उसके रक्त में भेद-भाव और घृणा है। भारतीय संस्कृति के प्राण में एकत्व है, उसके रक्त में सहानुभूति है।

वैदिक काल से लेकर महात्मा गांधी के समय तक दृष्टि दौड़ा जाइए भारतीय संस्कृति की जो एक विशेषता, हमेशा उसके साथ मिलेगी, वह उसकी अहिंसा के बिना चल ही नहीं सकता। अनन्त काल से भारत अहिंसा की साधना में लीन रहा है। यह साधना कभी कभी आत्मघातिनी भी सिद्ध हुई, किन्तु भारत तक भी अपने परम धर्म से नहीं डिगा और भारतीय अहिंसा केवल रक्तपात से ही बचना नहीं, वरन् उन सभी बातों से बचता रहा है जिनसे किसी को भी क्लेश पहुँचता हो।

सहिष्णुता, उदारता, सामासिक संस्कृति, अनेकान्तवाद और अहिंसा ये एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं और ये ही भारतीय सांस्कृतिक परिवेश के आधार स्तम्भ भी हैं। यह पावन संस्कृति अनेकान्तवादी रही है, क्योंकि इसमें दुराग्रह का कतई स्थान है ही नहीं। अनेकान्तवादी वह है, जो दूसरों के मतों को भी आदर से देखता और समझना चाहता है। अशोक एवं हर्षवर्द्धन अनेकान्तवादी थे, जिन्होंने एक धर्म में दीक्षित होते हुए भी सभी धर्मों की सेवा की। अकबर अनेकान्तवादी था, क्योंकि सत्य के सार-

रूप उसे किसी एक धर्म में दिखाई नहीं दिए एवं सम्पूर्ण सत्य की खोज से वह आजीवन सभी धर्मों को टटोलता रहा । भारतीय संस्कृति परिवेश में यही प्रकाश-स्तम्भ मार्ग दर्शक रहा है ।

अंततः भारत में जितने विचारों के बीच समन्वय हुआ, वे सभी विचार परस्पर समान ही नहीं थे और भारत में जितनी संस्कृतियों के मिश्रण से राष्ट्रीय या सामाजिक संस्कृति उद्भूत हुई, वे संस्कृतियाँ भी परस्पर अवरोधिनी नहीं थीं । किन्तु, फिर भी भारत ने इन विभिन्न विचारों, मतों, धर्मों और संस्कृतियों के बीच पूरा सामंजस्य बिठा दिया और उन्हीं विभिन्नताओं का समन्वित रूप हमारा सबसे बड़ा उत्तराधिकार है ।



सबको हिन्दी सीखनी ही चाहिए, इसके द्वारा भाव विनिमय से सारे भारत को सुविधा होगी ।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

हिन्दी देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है । हमें इस भाषा को राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए ।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दी प्रेम एवं एकता की भाषा है ।

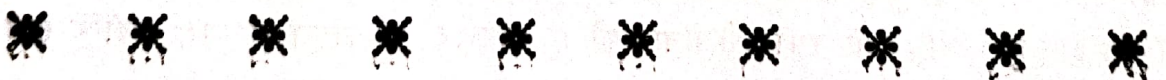
—महादेवी वर्मा

हिन्दी विश्व की सर्वाधिक सम्पन्न भाषा संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री है ।

—आचार्य बिनोवा भावे

देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करने की शक्ति केवल हिन्दी में है, जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है ।

—इन्दिरा गांधी



वसुन्धरा पुकारती

□ श्री आर० बी० दास
लेखा परीक्षा अधिकारी,
बिहार, पटना ।

गगन सिहर रहा
भय-वम-विस्फोट से
तूफान से
शीत-युद्ध ललकार से,
वसुन्धरा तड़प रही
निबंलों की आह से ।
दुश्मनों की नंगी आँख से
रक्त की वर्षा होनेवाली है ।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख
और ऐसे ही दिग्भ्रमित कुछ लोग
देश की इज्जत, सभ्यता, शान, का
शील-हरण समाराह
मनाना चाहते हैं ।
लौह-पुरुष, निर्भीक अडिग
वीर पटेल की याद से
वसुन्धरा सिसक रही, दहक रही
पुकारती आर्तनाद से—
कोई पटेल आए
जननि की लाज बचाए
दुश्मनों की रक्त पकिल आँख
कुण्ठित कर दे,
हमारे शौर्य और शील से ।
लहक उठें आन अपनो शान से,
दमक उठें चमन-चमन,
महक उठें तन-वतन,
चल पड़े हर कदम,
पटेलवादी गांधी को,
शांति-राह पर

नव वर्ष

□ श्री राम बाबू राम

अनुभाग अधिकारी

जी० डी० अनुभाग

हे सखे"

नव वर्ष की स्वर्णीय आभा ले,
 मंगल मय नव विहान ले
 नव पुलकित सुधा सिंधु अपार ले,
 नवनीत सा स्नेहमयी जहान ले,
 नव खुशी की दीप-मलिका ले,
 आई है यह वर्ष अतित के गुणगान गाते,
 कि आगे-बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रेम और गाढ़े करो ।

नव पथ है, नव रस है ।

अभी-अभी तुम्हारी उथान उन्मुख है ।
 भविष्य की गरिमा को धूल धूसरित मत होने दो,
 नव वर्ष के नव विहान में नव मंगल गान करो ।

जय भाग्य विधाता महान हो ।

हम को हर प्रकाश दो,
 नव जीवन का नव गान दो,

नव पुलकित गात पर नव रस-रक्त सिंचान करो,
 नव वर्ष मंगलमय हो, यही स्तुति करो,

नव पलव जगे, नव नभ के विहंग वृन्द जगे,
 नव वर्ष नवीन पथ पर नव पग धरे
 यही मनोकामना रहे, कि नव निरवत को-चीरते,
 नवीनता जगे, यही जीवन-उद्देश्य रहे ।

नव वर्ष मंगलमय रहे, मंगलमय रहे ।

‘शिमला’ एवं उसके कतिपय निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों की सैर

डॉ० जितेन्द्र कुमार,
एम० ए० (द्वय), पी-एच०डी०,
अनुभाग अधिकारी,
हिन्दी कक्ष

कहा गया है—“बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होय”। ‘Rolling stone gathers no moss’ ठीक उसी प्रकार भ्रमण करनेवाला व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न एवं स्वच्छ हृदयवाला होता है। एक जगह बहुत दिन रहते-रहते किसी मनुष्य का भी जी उचट जाता है और उसकी इच्छा होती है कि कहीं अन्यत्र भ्रमण किया जाए। वर्षों पटना में रहते-रहते मेरे एवं मेरे परिवार के सदस्यों का भी जी ऊब चुका था। पटने की भीषण गर्मी से हमलोग तंग आ गए थे। सोचा कहीं ठंडी जगह चला जाए। हमलोगों ने ‘शिमला’ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरी पत्नी एवं बच्चों ने भी हामी भर दी। पैसे के अभाव में इच्छा कैसे पूरी हो? यात्रा करने में पैसे अत्यधिक खर्च होते हैं। इच्छा तो बड़ी थी किन्तु साधन सीमित रहने के कारण मन की इच्छाएँ मन में ही सिसकती रह जाती हैं। ‘माथा रोए तेल को चोटी चाहे एँड़ी चूमे’। अचानक मुझे याद पड़ा कि 1986-90 ब्लॉक की छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) मैंने नहीं ली है जिसकी अवधि 30-6-91 तक बढ़ाई गई एवं पुनः उसे 30-9-91 तक बढ़ाया गया। कार्यालय से मुझे एल०टी०सी० के लिए ‘शिमला’ जाने हेतु अग्रिम के रूप में पर्याप्त राशि मिल गई। ‘डूबते को तिनके का सहारा।’ इस प्रकार रेल-भाड़े की समस्या हल हो गई। कुछ और पैसे का भी प्रबन्ध हो गया। शिमला जाने के लिए पटने से दिल्ली, दिल्ली से कालका एवं कालका से शिमला जाना पड़ता है।

हमलोगों ने 28-6-91 को ‘श्रमजीवी एक्सप्रेस’ से प्रथम श्रेणी में पटने से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। मेरे संग शिमला-यात्रा में मेरी धर्म-पत्नी मेरा छोटा लड़का एवं मेरी लड़की भी थी। रेलगाड़ी बड़ी ही तूफानी गति से चल पड़ी। इसी समय डब्बे में थम्सअप (Thumbs up) बेचने आया। हमलोगों को कंठ ठंडा करने की इच्छा हुई। हम लोगों ने Thumbs up पी लिए। पॉकट से रुपये खर्च करने की रफ्तार बढ़ी क्योंकि घर से बाहर निकल जाने पर तो खर्च का मीटर तेजी से उठता ही है। कभी चिनिया-बादाम (मूंगफली) बेचनेवाला आता तो कभी खीरा बेचनेवाला आता। ‘चाय गरम, गरम चाय’ की आवाज से तो हमारा रेलवे डब्बा ही नहीं अपितु समस्त ब्रह्माण्ड ही गुञ्जायमान हो गया। हमलोग कभी मूंगफली खाते तो कभी खीरा, कभी चाय पीते तो कभी काँफी। Thumbs up की दौर तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। हमलोगों ने साथ में लाए हुए भोजन को भी किया। गाड़ी बड़ी ही द्रुतगामी गति से चल रही थी। एक स्टेशन पीछे छूटता था तो दूसरा स्टेशन सामने आता था। कई रेलवे स्टेशनों को पार करती हुई मेरी

रेलगाड़ी "बाराणसी पहुँची। यह हिन्दुओं का धार्मिक स्थल है, अपने मन्दिरों आदि के कारण प्रमुख पर्यटन केन्द्र है। पं० मदन मोहन मालवीय के अथक एवं अतुलनीय प्रयास से निर्मित हिन्दू विश्वविद्यालय भी वहीं है। मेरी रेलगाड़ी बड़ी तेज गति से चलती गई। घंटों चलने के बाद नबावों की नगरी 'लखनऊ' पहुँची। वहाँ हमलोगों ने रेवड़ी खरीदकर खाई। अगर हमलोग एकाध महीने पूर्व यहाँ आते तो लखनऊ स्टेशन में लैला की हड्डी एवं मजनू की पसलियाँ (पतली-पतली ककड़ियाँ) खरीद पाते। लखनऊ ने हमें नबाव बालिद अली की याद दिलाई जो दुश्मन के चढ़ जाने पर भी जूता पहनाने के लिए नौकरों को डूँढ रहे थे। लखनऊ अपनी नफीसी एवं रईसी के लिए जगत्प्रसिद्ध है। लखनऊ को अलविदा कहते हुए कुछ घंटे के उपरान्त मेरी ट्रेन 'बरेली' पहुँची। यहाँ पहुँचने पर फिल्म का वह गाना अनायास याद आ पड़ा - 'झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।' अनेकानेक स्टेशनों को पार करती हुई मेरी रेलगाड़ी 29-6-91 के प्रातः छः बजे दिल लुभावनी 'नई दिल्ली' पहुँची। वहाँ पहले से ही बगल वाले प्लैटफार्म पर 'हिमालयन क्वीन' लगी थी। हमलोग उस पर सवार हो गए। लगभग साढ़े छः बजे प्रातः 'हिमालयन क्वीन' नई दिल्ली से खुली जो कुछ घंटे बाद 'कुरुक्षेत्र' रेलवे स्टेशन पहुँची और इस कुरुक्षेत्र से महाभारत की याद आ पड़ी। कुरुक्षेत्र से मेरी ट्रेन अम्बाला, चंडीगढ़ होते हुए 29-6-91 को ही लगभग दोपहर साढ़े बारह में 'कालका' पहुँची। अब हमलोगों को 'कालका' से 'शिमला' जाना था।

'कालका' से 'शिमला' की रेल लाइन पहाड़ों एवं जंगली वृक्षों को काट-काट कर बनाई गई है जिसे लार्ड कर्जन ने बनवाई है जिसका उन्होंने, 1904 में स्वयं उद्घाटन किया था। 'कालका' से 'शिमला' जाने वाली रेल लाइन में 103 सुरंग (Tunnels) हैं जिन्हें पहाड़ों को काट-काट कर बनाया गया है। 'कालका' से 'शिमला' जानेवाली रेल-लाइन छोटी लाइन है और इस पर चलने वाली पहाड़ी रेलगाड़ी को "ट्वॉय ट्रेन (Toy Train)" कहते हैं। शिमला के प्राकृतिक दृश्य का आनन्द लेने के लिए 'कालका' से 'शिमला' के लिए धीमी गति से चलनेवाली पहाड़ी रेलगाड़ी पर यात्रा करना सर्वोत्तम है। 'कालका' से 'शिमला' 90 किलोमीटर (90 K. M.) है।

कालका पहुँचने के तुरत बाद ही हमलोगों को यह 'ट्वॉय ट्रेन' मिल गई जो वहाँ से 29-6-91 को दोपहर एक बजे शिमला के लिए खुली। इसमें बड़ी ही आसानी से सीट का आरक्षण मिल गया। हमलोग उसमें जा बैठे। कालका से शिमला के लिए इस 'ट्वॉय ट्रेन' के खुलते ही हमलोगों ने रेल-लाइन की दोनों ओर के प्राकृतिक सौन्दर्य का रसास्वादन करना प्रारंभ किया। छुक-छुक कर धीमी एवं मस्तानी गति से यह पहाड़ी रेलगाड़ी चलती गई। रेल पटरी की दोनों ओर लम्बे-लम्बे वृक्षों से आच्छादित उत्तुंग पर्वतों को हमलोगों ने देखा जो प्रकृति नटी के सौन्दर्य में चार चांद लगा रहे थे। कहीं-कहीं रेल लाइन की दोनों ओर अथवा कहीं-कहीं एक ओर अत्यधिक गहरी खाई दीख पड़ती थी जिसे रेल के डब्बे पर से झांकने में कलेजा दहल जाता था। भय होता था कि यदि यह रेलगाड़ी कहीं रेल पटरी से नीचे गिरी तो हमलोगों में से किसी भी यात्री की हड्डी-गुड्डो का भी पता नहीं चलेगा किन्तु 'ट्वॉय ट्रेन' के चालक (ड्राइवर) इतने सिद्ध-हस्त होते हैं कि कभी भी आज तक ऐसी दुघटना नहीं हुई कि ट्रेन पटरी से उतर कर खाई में जा गिरे। वृक्षों से भरे पहाड़ों एवं जंगलों के बीच से होती हुई मेरी यह पहाड़ी रेलगाड़ी चल रही थी। बड़ा ही लुभावना दृश्य था। हवा से हिलती पतियों की मधुर आवाज एवं वृक्षों पर बैठे पक्षियों के कलरव हमलोगों का मन हठातू मोह रहे थे। हमलोग अपनी गद्देदार सीट पर बैठे हुए प्रकृति सुन्दरी की इस छटा का रसा-

स्वादन कर रहे थे। कालका से शिमला के बीच कई स्टेशन आए जहाँ थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हमलोगों की 'टबाय ट्रेन' रुकती चली। उन स्टेशनों पर सस्ती दरों पर बिकते आलू बोखारा, सेब, नाशपाती आदि फलों का भरपूर भक्षण करते हुए एवं प्रकृति के दृश्य एवं दृश्यावलियों के निरीक्षण करते हुए हमलोग 29-6-91 की संध्या सवा छः बजे शिमला पहुँचे। शिमला में हमलोगों को 'कालीबाड़ी' में जगह मिली जो एक साफ सुथरी जगह थी। वहाँ के कमरे बड़े एवं हवादार थे।

शिमला भारतवर्ष का रमणीय एवं कमनीय पहाड़ी स्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा पहाड़ी स्टेशन (हिल स्टेशन) है। शिमला का रेनवे प्लेटफार्म बड़ा ही भव्य स्वच्छ एवं शानदार है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इसके गगनचुम्बी पहाड़ हरे-हरे घने जंगलों तथा कठोर चट्टानों, नुकीले ऊँचे शिखरों से भरे हैं। यहाँ हिमालय का विशिष्ट आकर्षण है। पहाड़ों के उपर के जंगलों में चहचहाती चिड़ियों के मधुर गान किसका मन नहीं लुभाते? शिमला ब्रिटिश शासन काल में कई वर्षों तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। भव्य कुटीरों और सुन्दर बाग बगीचों की यह नगरी है। यहाँ के लोग स्थानीय मंदिरों में बराबर आराधना-पूजा करते मिलेंगे। यह स्थान वन-विहार स्थलों से आच्छादित हिमालय पर्वत की भव्य एवं मनोहारी दृश्यावलियों को प्रस्तुत करता है। यह 12 किलोमीटर के पर्वतीय क्षेत्रों में फैला है। यह बलूत (ओक), चीड़ (पाइन) और देवदार आदि के घने जंगलों के आवरण से आच्छादित प्राकृतिक दृश्य की अनुपम छटा को पेश करता है। शिमला में न गर्मी पड़ती है और न वहाँ मच्छरों का उत्पात है। वहाँ सामान्यतया बिजली की लाइन भी नहीं कटती है। वहाँ के समस्त मकानों की छतें मजबूत टीन की ढालुआ एवं 'कोनिकल' बनाई जाती हैं ताकि जाड़े के दिनों में छतों पर बर्फ जमने पर अधिक देर तक ठहर न पाए और तुरत टधरकर एवं पिघलकर छतों से नीचे गिर पड़ें। जाड़े के दिनों में वहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि सामान्य छतों की तरह वहाँ छतें बनाई जाएँ तो बर्फ की भीषण भार से छतें फट जाएँगी एवं मकान खराब हो जाएँगे। शीतऋतु में शिमला की सुन्दरता बढ़ जाती है। उस समय जब लम्बी चाँदनी रातों के स्तब्ध एवं शांत वातावरण में लोग घरों में अंगीठी या जलते चूल्हे के निकट बैठकर गर्म-गर्म कॉफी या चाय की चुसकी लेते हुए हिमपात का मजा लेते हैं तब उन्हें एक अनूठे एवं अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है। जाड़े में हिमपात (स्नोफॉल) के समय शिमला में यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। उस समय शिमला में बाहरी लोगों को ठहरने की जगह भी आसानी से नहीं मिलती। शिमला में गर्मी या वर्षा के दिनों में भी ठंड पड़ती है। जाड़े में तो बर्फ ही गिरती है।

शिमला निवासियों की दोस्ती और बहुमुखी व्यक्तित्व अत्यन्त सराहनीय है। यदि किसी भी इंसान को शांत वातावरण की खोज है, तो शिमला से बढ़कर कोई भी उपयुक्त विहार स्थल कहीं नहीं मिलेगा। अंधेरी रातों में बिजली से जगमगाती शिमला नगरी ऐसी प्रतीत होती है मानों किसी सुन्दरी ने अपने काले बालों के खोंपे में लाखों चमकते मोती पिरो लिए हों। शिमला में नीची जगहों से लेकर काफी ऊँचाई वाली जगहों में भव्य एवं रमणीय मकान बने हुए हैं।

शिमला का प्रमुख बाजार 'माल' (The Mall) है। 'माल' शहर का आकर्षक एवं चहल-पहल का केन्द्र है। यह शिमला शहर का मुख्य विहार-स्थल है। यहाँ यात्रियों की अगार भीड़ रहती है। 'माल' के अलावा लोअर बाजार एवं लक्कड़ बाजार भी शिमला के अच्छे बाजार हैं। उक्त जगहों में अनेकानेक

होटल, रेस्तरां आदि भी हैं। यों तो पूरे शिमला में होटलों एवं रेस्तरां की भरमार है। शिमला के मुख्य बाजारों एवं बहुत-सी जगहों में सरकारी गाड़ियों एवं एम्बुलेंसों को छोड़कर अन्य वाहनों (गाड़ियों) को ले जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ सामान ढोने के लिए पोर्टर (कुली) मिलते हैं जो बड़े ही परिश्रमी एवं ईमानदार हैं।

एक ही भवन में स्थित शिमला के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले० एवं ह०) के कार्यालय बहुत ही चित्ताकर्षक हैं। मैं इन दोनों कार्यालयों में गया। वहाँ के महालेखाकार (ले० प०) कार्यालय के हिन्दी कक्ष के बन्धुवर श्री अशोक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने दोनों कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरी मुलाकात कराई। उन दोनों कार्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आत्मीयता, सहृदयता, जिन्दादिली, आतिथ्य-सेवा एवं बहुमुखी व्यक्तित्व की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है।

शिमला में कोई दर्शनीय स्थल तो अत्यधिक ढलान पर हैं तो कोई अत्यधिक ऊँचाई पर जहाँ चढ़ते-चढ़ते पाँव थक जाँएँ। उदाहरणार्थ शिमला का 'जासू मन्दिर', 'इन्स्टीच्यूट ऑफ एड्वान्स्ड स्टडीज', 'प्रोस्पेक्ट हिल', जादूघर (म्युजियम) आदि बहुत अधिक ऊँचाई पर हैं तो चिड़िया खाना अत्यधिक ढलान पर। उक्त स्थानों की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा —

‘जासू मन्दिर

यह शिमला शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 8900 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ हनुमान का मन्दिर है। यहाँ जय माता शेरवाली, जय भोले शंकर जी, जय बाबा बालक नाथ जी का भी मन्दिर है। यहाँ पर हजारों बंदर रहते हैं जिन्हें यात्री अपने हाथ से कुछ न कुछ खिलाया करते हैं।

‘इन्स्टीच्यूट ऑफ एड्वान्स्ड स्टडीज’

पुराने ‘वाइसराय लौज’ या राष्ट्रपति भवन में यह स्थित है। यह ‘समर हिल’ के निकट है। संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहाँ आकर अध्ययन एवं शोध का कार्य करते हैं।

‘प्रोस्पेक्ट हिल’

यह शिमला शहर से 5 किलोमीटर (3 मील) की दूरी पर है। यह 8,137 फीट ऊँचा है। नये पर्वतारोहियों के लिए यह एक रमणीय स्थल है।

‘जादूघर (म्युजियम)’

सुन्दर भवन में स्थित यह एक छोटा किन्तु सुन्दर ‘म्युजियम’ है। यह 1974 में बना था। यहाँ कला की 2000 वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ चित्रकारिता का अच्छा संग्रह है। यहाँ प्रोषितपतिका, उत्कण्ठता, अभिसारिका, प्रेमपीड़िता नायिकाओं के बड़े ही सजीव एवं चित्ताकर्षक चित्र हैं। पुरातत्व चीजों का भी यहाँ अच्छा खासा संग्रह है।

‘चिड़ियाखाना’

यह काफी ढलान पर है। यह छोटा किन्तु मनोहारी है। यहाँ के रंग-बिरंगे जंगली शेर, चीते, भालू आदि दर्शकों के मन को हर लेते हैं। शिमला के उच्च दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त शिमला के निकट-वर्ती इलाकों में भी अनेकानेक दर्शनीय स्थल हैं जहाँ हमलोगों ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच०पी०टी०डी०सी०) की बसों से भ्रमण किया। इन स्थलों की जानकारी नीचे दी जा रही है।

‘कुफरी’

शीतकाल में स्कीटिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके निकट ही ‘इंदिरा होली डे होम’ (Chini Bungalow या Indira Holiday Home) है जो शिमला से 18 किलोमीटर है। यह 2,623 मीटर (8600 फीट) की ऊँचाई पर है। यह हिमाचल प्रदेश का आश्चर्यजनक विश्राम गृह (Fabulous Rest House) है जो चीड़ के उन्नत वृक्षों के मध्य बनाया गया है। कुफरी का इंदिरा टूरिस्ट पार्क एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा अवर्णनीय है। यहाँ बच्चों के लिए याक एव पीनी राइडिंग सुलभ है। यहाँ एक छोटा चिड़ियाखाना है।

‘वाइल्ड फ्लावर हॉल’

यह शिमला से 13 किलोमीटर है। लार्ड किचनर, भारत के कमाण्डर-इन-चीफ यहाँ रहते थे। यह यात्रियों के लिए अच्छी जगह है। रंग-विरंग के फूलों की यहाँ भरमार है। यहाँ सुन्दर एवं बड़े लॉन (Lawns) हैं।

‘फाग’

यह कुफरी से 6 किलोमीटर है और शिमला से 18 किलोमीटर है। यह 2509 मीटर (8,230 फीट) की ऊँचाई पर है। यह सेब के बागीचों से घिरा है।

‘नाल्डेहेरा’

यह शिमला से 22 किलोमीटर है। यह गॉल्फ के शौकीन के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ 9 छिद्रवाला गॉल्फ का मैदान लार्ड कर्जन की देख-रेख में तैयार किया गया था। यहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर ‘महानाग का मंदिर’ है जो पहाड़ी कलाकृति (Hill architecture) का एक सुन्दर एवं जीता जागता नमूना है। नाल्डेहेरा में यात्रियों के लिए एक ‘टूरिस्ट बंगला’ बनाया गया है।

‘मशोबरा’

यह एक अत्यधिक लोकप्रिय विहार स्थल है जहाँ देवदार और चीड़ के जंगलों में जाती चित्ताकर्षक पगडंडियाँ यात्रियों का मन मोह लेती है।

‘ऋगनेनो’

यहाँ पर मशोबरा से तीन किलोमीटर दूर पर स्थित पहाड़ की चोटी पर बना एक सुन्दर विश्राम गृह है।

‘चायल’ (Chail)

यह शिमला से 43 किलोमीटर (कुफरी होकर) है। यह 2250 मीटर की ऊँचाई पर है। यह पटियाला के महाराज भूपिन्दर सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी था—जो बाद में पटियाला के अंतिम शासक महाराजा यादवेन्द्र सिंह की भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहा। यह ससार का सबसे ऊँचा क्रिकेट मैदान है। ‘चायल’ खेल-प्रेमियों का स्वर्ग माना जाता है।

‘क्यारी बंगला’

यह शिमला से 23 किलोमीटर है। शिमला कालका राजपथ पर स्थित यह सबसे प्रिय पिकनिक स्थल है।

उक्त समस्त स्थलों के अतिरिक्त भी शिमला एवं उसके निकटवर्ती इलाकों में बहुत से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ हमलोग अर्थाभाव एवं समयाभाव के कारण जा नहीं पाए। ‘कुल्लू’ एवं ‘मनाली’ भी हमलोग नहीं जा सके जिसका हमलोगों को सदा अफसोस रहेगा। यदि फिर कभी अवसर मिला तो उन स्थानों में जाने का प्रयास करेंगे।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि ‘शिमला भारतवर्ष की एक सुन्दर एवं चित्ताकर्षक नगरी है। यही कारण है कि शिमला के जिस स्थान में जाएँ नाना पोशाकों से सुसज्जित देश-विदेश से आए यात्री मस्ती से घूमते हुए दीख पड़ेंगे। शिमला एक ऐसी रसवन्ती नगरी है जहाँ ‘हनीमून’ मनाने हेतु असंख्य नव दम्पतियों की अबाध गति से विचरण करते हुए देखा जा सकता है। जिसने ‘शिमला’ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा और उसकी आँखों का रहना व्यर्थ है क्योंकि आँखों का मुख्य कार्य है—‘सौन्दर्य-निरीक्षण।’ प्रकृति सुन्दरी के उद्दाम एवं प्रस्फुटित यौवन का यदि रसास्वादन करना है तो ‘शिमला’ अवश्य ही जाएँ।

मैं सपरिवार ‘शिमला’ से ‘पटना’ लौट तो आया किन्तु मेरा दिल वहीं छूट गया जिसे वापस लाने के लिए मुझे पुनः ‘शिमला’ जाना पड़ेगा।

इत्यलम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

“अमर भारती की इस लाडली “हिन्दी” के स्वरों में भारत की राष्ट्रीय आत्मा बोलती है।”

—जयप्रकाश नारायण

नूतन सबेरा

□ श्री जगन्नाथ प्रसाद मेहता

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

धूमता आया सदा से,
काल का यह चक्र—
जिसकी गति प्रगति को,
मानवी मस्तिष्क का—
सीमित धरातल,
माप लेने को सदा,
आतुर रहा है ।
एक निश्चित क्रम—
कि जिसका हर कदम,
मापा तुला है,
चल रहा है अनवरत—
अगणित युगों से ।
कामनाओं के मधुर,
सपने सँजोये,
सुख अपरिमित—
भोगने की लालसा,
मन की अगम गहराइयों में—
सदा से ही पल रही है ।
बुद्धि से वह होड़ लेती,
चल रही है ।
किन्तु अनजावी, अपरिचित—
परी सी वह कहाँ—
किस अज्ञात पथ पर जा पड़ी है,
शान्ति जिसकी सहचरी है ।
क्षलक जिसकी एक—
पाने को विकल संसार सारा,
सृष्टि का हर एक कोना—
छानता सा चल रहा है ।

स्वयं अपनी ही लगायी—
आग में वह जल रहा है ।
गगनचुम्बी ये महल, अट्टालिकायें—
किसी मृग तृष्णा सदृश—
देते रहे झूठी दिलासा ।
एक ऐसी जलन सी कुछ भर गयी है,
एक ऐसी घुटन सी घर कर गयी है,
ओर जिसका, छोर जिसका—
मिल न पाया,
तृप्ति की हर एक कोशिश,
विफल होती जा रही है ।
प्रकृति से सघर्ष, मानव का—
सदा चलता रहा है,
चल रहा है, और—
चलता ही रहेगा ।
नित नये साधन जुटाये जा रहे हैं ।
नित नये पदों उठाये जा रहे हैं ।
पर प्रगति के नाम पर,
अपनी विजय के गीत—
जो वह गा रहा है—
लग रहा है, कहीं पर से—
टूटता सा ।
मानवी अभियान की, मंजिल—
न मिल पायी अभी तक ।
बुद्धि का विस्तार,
जितना हो रहा है ।
स्वार्थ सर्वोपरि बना,
सर चढ़ रहा है ।

आत्मकेन्द्रित हो रहा है—

आज मानव,

सभ्यता की ओढ़ चादर,

जहाँ से वह कभी का ही—

चल चुका था,

उसी पशुता की तरफ,

फिर बढ़ रहा है ।

एक अनबूझी पहली है कहीं पर,

एक अनजानी कसक है,

वेदना है ।

एक कोई विद्या अबतक—

है अछूती,

जिसे अबतक छू न पाये,

ज्ञान के विज्ञान के,

बढ़ते चरण ये :

जगमगाती दीप माला—

बिजलियों की,

निशा को भी बदल देती है,

दिवस में,

और बाहर का अंधेरा—

भाग करके,

सीधे गति से, मोन—

भीतर भर रहा है ।

बाहरी सुषमा,

नयी रंगीनियों की,

खोखलापन भर रही,

अंतर्जगत में ।

प्राण की वंशी पड़ी,

निष्पंद सी है ।

स्नेही की सरिता हुयी,

निष्प्राण जैसी ।

मोन हाहाकार, मनको—

सालता है ।

स्वयं, यह विषवृक्ष, मानव—

पालता है ।

जहर जिसका, फैलता ही—

जा रहा है,

जो निरंतर, भस्म—

करता जा रहा है

मनुजता को,

घृणा, हिंसा स्वार्थपरता—

की भयानक लपट बनकर ।

वह, कि जो पी सके इस—

भीषण जहर को ।

दे सके अभिव्यक्ति—

अन फूटे स्वरों को ।

रुढ़ियों के जीर्ण बंधन तोड़कर जो,

स्नेह की कड़ियां बिखरती जोड़कर जो,

भर सके नव चेतना,

मानव मनों में—

फूँक करके शंख अभिव जागरण का

प्राण में जो भर अपरिमित स्नेह सागर,

त्याग का, वलिदान का दीपक जलाकर

कर सकेगा दूर भीतर का अंधेरा—

बही लायेगा यहाँ नूतन सवेरा ।



सन्त - सन्देश

□ श्री ओम प्रकाश सिंह
अभिलेख अनुभाग

"हमने अपनी आधुनिक सभ्यता में, जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है। खेती-बाड़ी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, रक्षा-व्यवस्था और विज्ञान, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ हम बहुत आगे न बढ़ गये हों। पर जब सन्त महात्मा हमारे लिए अफसोस करते हैं और कहते हैं कि दुनिया गलत रास्ते पर चली जा रही है, तो हमें ताज्जुब होता है कि सन्त हमारी आधुनिक सभ्यता की, हमारी प्रगति की ओर, हर दिशा में किये गये विकास की कद्र क्यों नहीं करते ?

"इसलिए हम एक बार अपने आपको देखें कि क्या हम पहले से सुखी हैं, पहले से अधिक स्वस्थ, सन्तुष्ट और निश्चिन्त हैं, या हम अब और दुःखी हो गये हैं और हमारी इच्छाएँ, तृष्णाएँ तथा कामनाएँ और भी बढ़ गई हैं ?

पहले हमारे पास बहुत कम चीजें थीं, लेकिन हमारे अन्दर सन्तोष था। अब हमारे पास बहुत-कुछ है, पर हमें और चाहिए, और अधिक चाहिए। आज बीमारियाँ बढ़ गई हैं, टूटी या बिखरी गृहस्थियाँ बढ़ गयीं हैं। मानसिक तनाव से पीड़ितों की और आत्महत्या करने वालों की संख्या अधिक हो गई है, अस्पताल कैंसर के मरीजों से भर गये हैं।

पहले हम झोपड़ियों में रहते थे और एक दो झोपड़ियों में सारा परिवार आ जाता था। हम हाथों से या बैलों की मदद से खेती करते थे। इसी तरह अपनी बिरादरी में ही शादियाँ हो जाया करती थीं और हमारी सारी दुनिया पन्द्रह या बीस मील के दायरे में होती थी और इसी में गुजारा करके मर जाते थे।

लेकिन अब जिन्दगी के हर-पहलू में हमने बड़ी तरक्की की है। कितने अच्छे मकान बना लिये हैं, कितना अनाज पैदा कर रहे हैं, ट्रैक्टर आ गये हैं, रासायनिक पदार्थ आ गये हैं। इसी तरह चिकित्सा ने कितनी प्रगति की है, कितनी नई-नई अच्छी दवाइयाँ और कितने विशेषज्ञ डाक्टर आ गए हैं। कानून की ओर देखें, कितनी कचहरियाँ बन गई हैं; कितने लायक वकील आ गए हैं; और आज हम सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक मुकद्मा ले जा सकते हैं।

फिर महात्मा हमें दुःखी क्यों कहते हैं ? हमें तो जिन्दगी में हर चीज मिली हुई है, जब हर सुविधा हमारे पास मौजूद है तो दुःखी क्यों हैं ? या तो हमारे सोचने में कोई दोष है या महात्मा के समझाने में कुछ फर्क है।

“जिस समय हम झोपड़ियों में रहते थे, सारा परिवार एक जगह रहता था। दिन-भर काम करते थे, शाम को इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे। एक-दूसरे के प्रति प्रेम होता था, एक साथ नाचते, गाते और ढोलक बजाते थे। फिर रात को बड़े आराम से गहरी नींद सो जाते थे।

अब हमने बड़ी-बड़ी पक्की कोठियाँ बना ली हैं, कमरों में एयर कंडीशनर (वातानुकूलक) भी लगा रखे हैं, टी० वी० लगा है, टेलीफोन लगे हैं, पलंगों पर साढ़े नौ-नौ इंच की स्प्रिंग हैं और उन पर छः इंच मोटे गद्दे लगे हैं। लेकिन फिर भी हमें रात को नींद नहीं आती, नींद की गोलियाँ खानी पड़ती हैं, टोका (इंजेक्शन) लगाना पड़ता है। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि हम थके हुए हैं, हमारे घुटने दुखते हैं।

पहले माता-पिता की कितनी इज्जत थी और माता-पिता का भी बच्चों से कितना प्यार था। अब माता-पिता ही रात को दस-ग्यारह बजे अपनी पार्टियों से वापस आते हैं, और बेचारे बच्चे तो आठ-नौ बजे ही सो जाते हैं। सुबह दस-ग्यारह बजे के पहले कोई सो कर नहीं उठता और बच्चे सुबह सात-आठ बजे ही स्कूल चले जाते हैं। बच्चे भी अपने माँ-बाप की ऐसी ही इज्जत करेंगे। वे अपने माँ-बाप के सहारे कैसे बनेंगे, उनका किस-तरह अपने माँ-बाप से इतना प्यार हो सकता है ?

पुराने जमाने में गाँवों में मामूली हकीम या जराह बगैरह होते थे, लेकिन हर एक को दवा मिल आती थी, हर एक का इलाज भी हो जाता था।

अब जरूर विज्ञान ने तरक्की की है, चिकित्सा ने तरक्की की है। लेकिन जरा देखें, आज कितनी नई-नई तरह की बीमारियाँ होने लगी हैं, क्योंकि अनाज आदि की पैदावार के लिये कितने केमिकल्स (रासायनिक पदार्थ) काम में लेने पड़ते हैं, जिनका हमारे शरीर पर असर जरूर पड़ता है। और डाक्टर मिलते किसे हैं ? अस्पतालों में पलंग किस मिलते हैं ? अगर मिल भी जाएँ तो अस्पतालों के खर्चे कितने ज्यादा हैं। बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते हैं।

बेशक हमने बहुत अनाज पैदा कर लिया है। लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आप जानते हैं बारह-तेरह रुपये (प्रति किलो) में शक्कर खरीद कर कोई कैसे अपने बाल-बच्चों को खिलायेगा। यह नहीं कि दुनिया में अनाज की कोई कमी है, लेकिन जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जरूर कोई नुक्स है।

महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि आज अमीर खा नहीं सकते क्योंकि उनको हजम नहीं होता, और गरीब को ज्यादा कीमत की वजह से मिलता नहीं। तो इतने अनाज-उत्पादन का फायदा किसी को क्या हुआ ?

उस जमाने में अगर गाँव में कोई झगड़ा हो जाता था तो गाँव के दो-चार भले लोग इकट्ठे होकर शाम तक उसका फ़ैसला कर देते थे। अब आप कोई मुकद्दमा करके देख लें, बीस-पच्चीस साल से पहले फ़ैसला नहीं होता। जज कितने भी योग्य क्यों न हों, वकील कितने भी लायक क्यों न हों, फ़ैसला तो किसी को भी जल्दी नहीं मिलता।

इसी तरह नाना प्रकार की दवाइयाँ आ गई हैं, बड़े कुशल डाक्टर आ गये हैं, लेकिन इलाज कितने लोगों को होता है ? बड़े-बड़े मकान बन गये हैं, लेकिन फिर भी रात को कितने लोग सड़कों पर सोते हैं ?

या तो "तब हमारी तरक्की में, हमारे विकास में कोई नुक्स है, या हमें इसका उपयोग करना नहीं आता ।

आज लोग शादियाँ अपनी मर्जी से करते हैं । फिर भी तीसरे चौथे साल तलाक के लिये कचहरी में जा पहुँचते हैं । पहले माँ-बाप शादी कर देते थे । हर विवाहित जीवन में एक दो आँधियाँ जरूर आती हैं । लेकिन उन दिनों दोनों घरों के माता-पिता इकट्ठे होकर फैसला करा देते थे और झगड़ा खत्म हो जाता था । अब तो माता-पिता को पता ही नहीं लगता कि बच्चे तलाक कब ले लेते हैं और दूसरी शादी कब कर लेते हैं । इस सब विकास का फायदा किसने उठाया ?

"किसी से पूछकर देख लें, किसी को फुरसत नहीं है, मजदूर को फुरसत नहीं है, इंजीनियर को फुरसत नहीं है, डाक्टर को फुरसत नहीं है, उद्योगपति को फुरसत नहीं है । किसे फुरसत है ? किसी को भी नहीं तब इस विकास का फायदा क्या हुआ ? हमें अपने लिये एक घण्टा नहीं मिलता । सबके मन में, सबके मुँह पर तनाव दिखाई देता है, किसी को चैन नहीं है । चार लोग बैठकर हँस-खेल नहीं सकते, ऐसी तरक्की का हम कौन सा फायदा उठा रहे हैं ?

"इस सबका नतीजा है बढ़ते हुए हृदय रोग, डाइबिटीज, बढ़ा हुआ रक्त-चाप । हमारी पूरी जिन्दगी बनावटी हो गई है । हम हँसना भूल गये हैं, आँसू-बहाना भूल गये हैं । हमारी मुस्कुराहटें नकली बन गई हैं- हमारे आँसू नकली बन गये हैं ।

"यह विकास का कसूर नहीं है । हम इन चीजों के कैदी बन गये हैं । वे चीजें हमारे फायदे के लिये बनी हैं, न कि हम इसके लिए बने हैं । हम इन मशीनों के पुर्जे बन गये हैं, मशीनों के मालिक नहीं बन सके, गुलाम बन गये हैं । हमें इस तरक्की का मालिक बनना चाहिए । हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को कपड़ा मिलना चाहिए, रहने को जगह मिलनी चाहिये, मन में चैन होना चाहिये, किसी के मन में तनाव नहीं होना चाहिये, माता-पिता के लिये इज्जत होनी चाहिये, बच्चों से प्यार होना चाहिये । यही तो जिन्दगी में हर इन्सान माँगता है । अगर जीवन के मूल्य ही नहीं रहे, तो इस विकास का हमें क्या फायदा हो सकेगा ?

जो महात्माओं ने कहा है वह पहले भी ठीक था और आज भी ठीक है । इन चीजों में न कभी पहले किसी को सुख मिला है और न ही आज किसी को सुख मिल सकता है, क्योंकि मालिक ने यह दुनिया ही दुःख और सुख की बनाई है । इसीलिये किसी महात्मा ने कहा है, "तजो मन यह दुःख सुख का धाम" । कि भाई, यह दुनिया दुःखों और सुखों की बनी हुई है । तुझे कभी इस दुनिया में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि यह पुण्य और पाप की नगरी है । यहाँ पुण्य का हिसाब देने भी आना पड़ेगा, और पाप का हिसाब

देने भी आना पड़ेगा। पुण्य के कारण तू सुखी होगी, तो पाप के कारण दुःखी। सो अगर सुख है तो मालिक की भक्ति में है, मालिक के प्यार में है। इसीलिये कबीर साहब कहते हैं,

“नाम जपत कोढ़ी भला, चुई-पुई पड़े जिस चाम।
कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही नाम॥”

क्योंकि अगर एक कोढ़ी व्यक्ति जिसके शरीर से कट-कट कर खून बह रहा हो, और वह मालिक की भक्ति के बीच लगा हुआ हो, उस व्यक्ति से भला है जो दुनिया के हार सिंगार लेकर खड़ा है, लेकिन मालिक के भक्ति और प्यार से खाली है क्योंकि उसे मरने के बाद नरकों में सड़ना पड़ेगा।



हास्य

□ श्री पुरूषोत्तम कुमार राजगृहार,
लेखा अधिकारी

एक युवक विवाह के उपरान्त अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने एक बड़े शहर में गया। इस दौरान दोनों शहर के एक मेले में पहुँच गए। वहाँ उनकी नई पत्नी पति से बिछड़ गई। युवक पत्नी को खोजते, घंटे की आवाज पर एक मंदिर में पहुँच गया। मंदिर भगवान राम का था। युवक भगवान से कहने लगा कि भगवान—मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ कर खो गई है। भगवान उस युवक की बात सुनते ही बोले—“युवक, जब मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई थी तो हनुमान जी ने उन्हें खोज निकाला था। आगे उन्हीं का मंदिर है। वहाँ जाओ और उनसे प्रार्थना करो। तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी।”



जाँच प्रतिवेदन, इसकी विषय सूची, जाँच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

□ श्री एम० एन० हक,
लेखा अधिकारी (प्रशासन)

विभागीय जाँच का स्वरूप और उसका लक्ष्य

सरकारी कर्मचारियों को मनमाने तौर पर पदच्युत करने या नौकरी से हटाने या उनके पद में कमी लाने के विरुद्ध संविधान ने जो संरक्षण प्रदान किया है उसे यथोचित अवसर का कानून (Doctrine of reasonable opportunity) कहा जाता है। यथोचित अवसर का मतलब स्वच्छ और निष्पक्ष विभागीय जाँच की व्यवस्था है ताकि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को अपनी बेगुनाही और अपनी मासूमियत को सिद्ध करने का पूरा-पूरा अवसर मिल सके। विभागीय जाँच की अनिवार्यता दो कारणों से आवश्यक है :— एक ओर इससे अनुशासनिक प्राधिकारी को इस बात का अवसर मिलता है कि वह अभियुक्त कर्मचारी के आचार से अवगत हो सके और यदि उसपर कोई दण्ड अधिरोपित होना है तो इस सिलसिले में वह सही निष्कर्ष पर पहुँच सके। दूसरी ओर इससे अभियुक्त कर्मचारी को अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों को जानने और अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का अवसर मिलता है। इसलिए विभागीय जाँच केवल एक औपचारिकता ही नहीं है बल्कि एक गम्भीर कार्यवाही है जिससे सरकारी कर्मचारियों को अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों को जानने और अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का अवसर मिलता है। संविधान ने सरकारी कर्मचारियों को जो संरक्षण प्रदान किया है वह अपने आप में बहुत ही व्यापक है और इसका पालन पूरे तौर पर होना चाहिए और उन्हें जो अवसर प्रदान किया जाए उसे वास्तविक और पर्याप्त होना चाहिए नामिक नहीं। विभागीय जाँच अर्द्धन्यायिक (Quasi judicial) कार्यवाही होती है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को इस बात का अवसर प्रदान करना होता है कि वह यह बता सकें कि उन्होंने ऐसा कोई अभियोग नहीं किया है जिसकी उन्हें सजा मिले और यह भी कि जो दण्ड उसके लिए निर्धारित किया जा रहा है वह उसके द्वारा किए गए अभियोग से कहीं अधिक है।

२. न्याय का प्राकृतिक सिद्धान्त और विभागीय जाँच की कार्यवाही के दौरान इसका उपयोग

प्राकृतिक न्याय के दो मोटे सिद्धान्त हैं :—

- (१) अपने मामले में कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं बन सकता है।
- (२) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई फैसला उस समय तक नहीं दिया जा सकता है जबतक कि उस कर्मचारी को बयान देने का यथोचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता। लार्ड डेनिंग ने

अपने शब्दों में इसे "स्वच्छ" और "निष्पक्ष" कहा है। उदाहरण के तौर पर—एक डी० एस० पी० एक ऐसे मामले की विभागीय जांच कर रहे थे जिसकी उन्हें व्यक्तिगत जानकारी थी। जांच के दौरान अभियुक्त के गवाह के विरोध में उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कर दिया और जांच की आगे की कार्यवाही में लग गए। अदालत के सामने अभियुक्त कर्मचारी ने तमाम कार्यवाही को चुनौती दिया और इसपर उच्चतम न्यायालय ने तमाम विभागीय कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का अतिक्रमण हुआ है।

३. व्यक्तिगत सुनवाई का महत्व

विभागीय जांच की प्रणाली मूलरूप से सच्चाई को जानने का एक साधन है। जो पदाधिकारी किसी मामले की छानबीन करता है उसका असल उद्देश्य सच्चाई तक पहुँचना होता है। अधिकांशतः प्रस्तुतकर्ता और रक्षा सहायक सच्चाई तक पहुँचने में जांच प्राधिकारी की सहायता के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं। यह लक्ष्य उस समय तक पूरा नहीं हो सकता है जबतक कि अभियुक्त कर्मचारी को संक्षेप में यह नहीं बता दिया जाता कि उसके विरुद्ध कौन-कौन से अभियोग लगाए गए हैं और जबतक कि उसे व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का यथोचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता ताकि वह अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों का खण्डन कर सके। हमारे उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत सुनवाई की अहमियत पर जोर देते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है :—

व्यक्तिगत सुनवाई से एक ओर जांच प्राधिकारी को इस बात का अवसर मिलता है कि वह अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए गवाहों की गवाही को भली-भाँति सुन सके और यदि उसके मन में कोई शंका हो तो वह बहस के दौरान दूर हो जाए तो दूसरी ओर रक्षा सहायक को यह अवसर मिल जाता है कि वह अपने तर्कसंगत बहस के जरिए जांच प्राधिकारी को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर सके।

व्यक्तिगत सुनवाई की प्रक्रिया की जड़ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त में निहित है—'Audi alterm partu' यानी कि दूसरे पक्ष को सुनो। यू० एस० ए० के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने इस सिद्धान्त का विस्तार इस प्रकार किया है—

सूचना और सुने जाने का अवसर कानूनी प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है।

स्वच्छ अदालती कार्यवाही के लिए सूचना और सुने जाने का अवसर अपरिहार्य है।

इन्साफ का तकाजा यह है कि अभियुक्त को सूचना दी जाए और उसे सुना जाए ताकि अपने विरुद्ध लगाए गए अभियोगों का वह खंडन कर सके।

४. अनुशासनिक प्राधिकारी-जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ करने वाले प्राधिकारी

केन्द्रीय असेनिक सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम १९:५) के नियम १२ और ११ में उन प्राधिकारियों का उल्लेख है जो नियम ११ में दिए गए दण्डों को अधिरोपित कर सकते हैं और जो जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए सक्षम हैं।

५. दण्डों को अधिरोपित करने की प्रक्रिया

केन्द्रीय असेैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम) १९६५ के नियम १४ में दण्डों को अधिरोपित करने का उल्लेख है। संविधान की धारा ३११ के अन्तर्गत जितने भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी अभियुक्त कर्मचारी के उन अभियोगों का जिससे उसने इन्कार किया है, की स्वयम् मौखिक जांच कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मौखिक जांच के उद्देश्य से जांच प्राधिकारी की नियुक्ति का मतलब प्राधिकार का सौंपना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस सिलसिले में यह मन्तव्य दिया कि यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धान्त है कि सांविधिक अधिकारी (Statutory functionary) अपने अनुशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करते हुए यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी मामले की छान-बीन करने और उसे इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने अपना प्राधिकार उस व्यक्ति को सौंप दिया। इस प्रश्न पर कि किस व्यक्ति को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए, न्याय अधिकारियों ने यह निर्णय दिया कि यह सिद्धान्त कि अभियोग लगाने वाला न्यायाधीश नहीं हो सकता, विभागीय अनुशासनिक जांच के सिलसिले में पूर्णतः लागू नहीं होता। परन्तु उसे न्यायाधीश की उदासीनता के साथ अपने कर्तव्य को निबाहना होगा क्योंकि वह न्यायाधीश के प्रतिष्ठित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। जांच प्राधिकारी ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जिसका जांच के विषय के साथ दूर का भी सम्बन्ध न हो। उसे निष्पक्ष और पक्षपात मुक्त होना चाहिए। जांच की कार्यवाही उसे इस उद्देश्य को सामने रखते हुए निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात और बिना बदले की भावना के संचालन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जांच का संचालन नहीं किया जाना चाहिए जो उस विषय से पहले से ही सम्बन्धित हो क्योंकि इस कारण पक्षपात की सम्भावना बढ़ जाती है और निश्चित समय के अन्दर निर्णय नहीं हो पाता है। ऐसा सम्भव है कि एक व्यक्ति जांच के विषय से सम्बन्धित होते हुए भी अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखता हो और अपने व्याक्तगत दिलचस्पी से अदालत के पवित्र परम्पराओं पर किसी प्रकार का दाग भी न आने दे फिर भी जांच प्राधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्त से प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों का हनन होगा। इस सम्बन्ध में अदालती निर्णयों का उल्लेख सुसंगत होगा।

“यह मौलिक महत्व की बात है कि केवल इन्साफ ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह भी नजर आए कि इन्साफ स्पष्ट और संदेहमुक्त किया गया है।

६. यदि उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो जांच निष्फल हो जाता है

उच्चतम न्यायालय ने यह मन्तव्य दिया कि विभागीय कार्यवाही के दौरान उचित प्रक्रिया को अपनाने से असेैनिक पदाधिकारी को वास्तविक प्रक्रियात्मक जमानत (Substantial procedural guarantee) प्राप्त होता है और इस उल्लेखन से सारी कार्यवाही निष्फल हो जाती है। इस प्रकार किसी भी विभागीय कार्यवाही में यह सुनिश्चित करना होगा कि :—

- (i) जांच की कार्यवाही वही प्राधिकारी संचालन करे जो इसके लिए सक्षम हो।

- (ii) जांच की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए ।
- (iii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन न हो ।
- (iv) अभिलेखों में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो अभियुक्त के अभियोगों को सिद्ध कर सकें ।
- (v) उस अभियुक्त कर्मचारी पर की गयी कार्रवाई किसी बाह्य दबाव या पक्षपात की दृष्टि से नहीं बल्कि निष्ठापूर्वक की गयी है ।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान यदि उपर्युक्त बातों पर ध्यान रखा जाए तो सारी कार्यवाही नियमित सिद्ध होगी और उसमें भविष्य में कोई कानूनी अड़चन नहीं पैदा होगी । इस प्रकार किसी भी विभागीय जांच की कार्यवाही में प्रक्रिया की नियमितता ही सबसे अहम पहलू है ।

७. जांच प्राधिकारी की योग्यता

अदालतों ने समय-समय पर स्पष्ट रूप से यह टिप्पणी की है कि विभागीय प्राधिकारियों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उन्हें संविधान और कार्यविधि के नियमों का सुस्पष्ट ज्ञान हो और वह उसका अनुपालन पूरी निष्ठा और कुशलता से करें । इसका कारण यह है कि जांच प्राधिकारी को उपर्युक्त बातों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होने और फौजदारी मुकदमों और विभागीय कार्यवाही की भिन्नता को नहीं समझने से जांच की कार्यवाही या तो बहुत ही तूल पकड़ जाएगी या वह अभियुक्त के टाल-मटोल के रास्ते को दृढ़तापूर्वक नहीं रोक सकेगा । इस कारण मामलों के निष्पादन में विलम्ब होगा और उसमें त्रुटि के रह जाने की भी सम्भावना हो सकती है ।

८. जांच प्राधिकारी का कर्तव्य

जांच प्राधिकारी को तीन प्रकार के काम जांच के दौरान करने पड़ते हैं, अर्थात् प्रलेख से सिद्ध करना, विश्लेषण करना और सिफारिश करना । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जांच प्राधिकारी की नियुक्त की तीन शर्तें हैं :—

- (i) अनुशासनिक प्राधिकारी के स्थान पर वह अभिलेखों से तमाम प्रमाणों को इकट्ठा करता है ।
 - (ii) उनका विश्लेषण करता है और
 - (iii) यह सिफारिश वही करता है कि अभियोग सिद्ध हुआ या नहीं । जांच प्राधिकारी इस बात की सिफारिश नहीं कर सकता कि दण्ड की प्रमाणा क्या होगी ।
९. जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट

जांच की कार्यवाही समाप्त होने पर जांच प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह तमाम अभिलेखों पर फिर से विचार करे और अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करे । जो रिपोर्ट

जांच प्राधिकारी प्रस्तुत करे उसका लिखित और हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। यदि जांच समिति के बहुत सारे सदस्यों में से एक सदस्य भी हस्ताक्षर न करेगा तो वह रिपोर्ट नियमित नहीं होगी। जांच के प्रमाण का जो जांच के दौरान अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया, का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अहम क्यों न हो को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं करना चाहिए। जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष तक पहुँचने का स्पष्ट कारण अवश्य देना चाहिए। यदि अभियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए अभियोग सिद्ध भी हो गए तो उसे इस बात की सिफारिश नहीं करनी चाहिए कि अभियुक्त को क्या दण्ड दिया जाए।

१०. रिपोर्ट पर विचार

अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वह उससे असहमत भी हो सकते हैं पर असहमति होने पर इसका कारण अपने आदेश में दर्ज करना होगा। जांच रिपोर्ट की एक प्रति और जांच प्राधिकारी से असहमति के कारण के साथ साथ अन्तिम आदेश की एक प्रति अभियुक्त कर्मचारी को देनी होगी। जहाँ आवश्यक होगा, अन्तिम आदेश देने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी केन्द्रीय निगरानी आयोग से भी मशविरा कर सकता है।

११. अंतिम आदेश देना

अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा दिया गया अन्तिम आदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और तर्क-संगत होना चाहिए। दरअसल अनुशासनिक कार्यवाही में दिया गया अंतिम आदेश स्पीकिंग आदेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो प्राधिकारी अंतिम आदेश देता है उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचने का कारण भी उल्लेख करे। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि :—

- (i) जिन बातों पर निष्कर्ष आधारित होता है और जो असल निष्कर्ष होता है तर्क इनके बीच का एक धागा है। अर्थात् जिन बातों पर विचार किया गया और जो निष्कर्ष निकला, तर्क इनके बीच का एक बंधन है।
- (ii) निष्कर्ष तक पहुँचने का बिना कारण बताए हुए अंतिम आदेश, उन पदाधिकारियों के लिए जो अपील, रिवियु या रिविजन के लिए सक्षम होते हैं नहीं के बराबर सहायक सिद्ध होता है।
- (iii) इससे अभियुक्त कर्मचारी को कुशलतापूर्वक अपील करने में सहायता मिलती है।
- (iv) निष्कर्ष तक पहुँचने का तर्क देने से आदेश में निर्मलता आती है और इससे निरंकुशता की सम्भावना समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के आदेश से अभियुक्त कर्मचारी को संतुष्टि मिलती है।
- (v) यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो निर्णय लिया गया है वह कानून के प्रावधान पर आधारित है न कि किसी पालिसी या स्वार्थ के अन्तर्गत किया गया है।

हमारा जीवन स्तर

श्रीमती एलेन मेरी टुडू

(श्री शिव कुमार गुप्ता)

लेखा अधिकारी की धर्म पत्नी

स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एकबार कहा था कि राष्ट्र के रूप में भारत का अस्तित्व पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर ही निर्भर है।

वास्तव में राष्ट्र की पंचवर्षीय योजनाएँ देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का ही संगठित कार्यक्रम है, किन्तु इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि हमारे जीवन स्तर में सुधार केवल सरकारी प्रयासों से नहीं आ सकता। व्यक्तिगत जीवन स्तर में सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है।

इस प्रसंग में विचारणीय है कि वास्तव में उच्च जीवन स्तर का मापदंड क्या है? इस संबंध में पूर्व और पश्चिम के विचारकों में मतभेद है। पश्चिम पूर्व की अपेक्षा अधिक भौतिकवादी है। पश्चिम में अत्यधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उपयोग ही सुख का साधन और उन्नत जीवन स्तर का मापदंड समझा जाता है।

इसके विपरीत भारत आदि पूर्वी देशों में जमाने से यह दीक्षा दी जाती रही है कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो और कहा गया कि यही सुख का मार्ग है। कालान्तर में इस दीक्षा ने पूर्व के लोगों को पलायनवादी, निराशावादी और अकर्मण्य-सा बना दिया।

समय के साथ इस प्रवृत्ति में पुनः बदलाव आया। पश्चिम का प्रभाव भी इसका एक कारण रहा है। फलस्वरूप जनसाधारण का सुझाव प्रतिदिन के उपभोक्ता वस्तुओं जैसे स्कूटर, टेलीवीजन, वीडियो एवं घरेलू विद्युत उपकरणों की ओर बढ़ रहा है और इसके उपयोग को सुखदायक माना जाने लगा है। बढ़ती मांग के कारण इनके उत्पादन के लिए देश में नित नए कल कारखाने खुल रहे हैं। उत्पादन में व्यस्त लाखों लोगों को जीविकोपार्जन का साधन मिला है। फिर भी बेकारी की समस्या देश में बनी हुई है। यदि समाज में भौतिकवादी प्रवृत्ति नहीं बढ़ी होती तो बेकारी का आंकड़ा कितना भयानक होता यह सहज अनुमान किया जा सकता है।

भारतवासियों को अपने इतिहास और प्राचीन संस्कृति और सभ्यता पर बड़ा गर्व है। इस देश को संसार का सबसे भाग्यशाली देश भी कहा जाता रहा है। इसी गर्व में हम पश्चिम को भौतिकवादी इत्यादि कह कर बहुत उच्च दृष्टि से नहीं देखते थे।

किन्तु आज की वास्तविक स्थिति यह है कि हमारा देश अज्ञान, गरीबी और निराशा के अन्धकार में भटक रहा है जबकि पश्चिम के देश ज्यादा खुशहाल और संपन्न हैं। आखिर हमारी यह दुर्गति कैसे हुई, क्योंकि हुई वह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक देशवासी के मन में उठना स्वाभाविक है।

ज्ञातव्य है कि हम जिस रसीले फलों का उपभोग आज करते हैं उनके वृक्ष वर्षों पहले लगाए गए होते हैं, क्योंकि वृक्षारोपन के वर्षों बाद ही उनमें फल निकलते हैं। देश के परिप्रेक्ष्य में भी यही लागू होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा बहुत कम ही अग्रिम योजना का उल्लेखनीय काम किया है जिसका फल हम आज उपभोग कर सकें। इसका कारण यह है कि आजादी के पहले राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि लोग चाह कर भी देश की खुशहाली के लिए अग्रिम कार्य योजना नहीं बना सकते थे। अतः हमारा देश औद्योगिक युग की प्रारंभिक दौड़ में पिछड़ गया।

गुलामी के तीन सौ वर्षों में देश की घरती ने जो सोना उगला उससे इंग्लैंड और उस देश वासी संपन्न हुए। उनके जीवन स्तर में सुधार आया। जबकि भारतवासियों को बस जिंदा रहने भर का साधन प्राप्त हुआ।

इतिहास गवाह है कि जिन विषम परिस्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं करीब दो सदियों पूर्व इंग्लैंड भी समान परिस्थितियों से गुजर चुका है। इंग्लैंड का पहला प्रधान मंत्री रौवर्ट वालपोल था। उसके समय में भी उस देश की वही परिस्थिति थी जो आजादी के बाद उस देश में व्याप्त थी। देश में अनैतिकता का बोलवाला था। उद्योग नदारत थे। उसके समय में भी यूरोप में युद्ध और अशांति थी। पर उसने शांति की नीति अपनाई। उसने देश को सभी झगड़ों से अलग रखकर लगातार बीस वर्षों की शांति प्रदान की। इस अवसर का उपयोग उसने देश में उद्योग, वाणिज्य और व्यापार की प्रगति में लगाया। फलस्वरूप देश समृद्ध बन गया। इंग्लैंड की जनता ने इस अवधि में सभी बाधाओं और विपत्तियों का सामना करते हुए लगनशीलता के साथ देश की उन्नति में अपना योगदान दिया। इससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया।

भारत में यह अनुभव किया गया है कि जिस उपक्रम को सरकार अपने हाथ में लेती है उसमें जन-समुदाय अपनी दिलचस्पी खो देती है।

विचारणीय है कि ऐसा क्यों होता है? सरकार को लोग अपने से अबग क्यों समझते हैं? उसके कार्यों के प्रति अपना कोई कर्त्तव्य क्यों नहीं समझते हैं? वस्तुतः हमारा संगठित रूप ही सरकार है। देश के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत योगदान, चाहे वह किसी भी पेशा, नौकरी या व्यवसाय में लगा हो, उसके कर्त्तव्य का फलाफल ही समेकित रूप में सरकार की सफलता या असफलता का द्योतक है।

हमें यह अंगीकृत कर लेना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कठिन परिश्रम और अगम्य उत्साह ही सफलता की कुंजी है। सरकार कितनी भी योजनाएँ या कानून क्यों न बनाए हमारा जीवन स्तर ऊँचा नहीं बढ़ सकता जबतक उसकी सफलता में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्मठ

योगदान न हो। योजना एवं विधान तो केवल हमारे सामने एक लक्ष्य, एक मार्ग उपस्थापित करता है। उसकी प्राप्ति हम कड़ी मिहनत और लगन के द्वारा ही कर सकते हैं।

अतः हमें चाहिए कि कल की चिंता छोड़कर पूरी लगन से आज के काम में रत हो जाएं। हमारा भविष्य आशामय है और आशा ही जीवन है।

भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कहा है :—

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्म फलहेतुभूमा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥”



संवेदना

□ पियुष ओझा,

लेखाकार, निधि—जी. एल

ठेले पर लेटी वह नारी, कंकाल सी दीख रही थी,

बीच - बीच में प्रसव वेदना से चीख रही थी,

लगता था आ गया है उसका काल,

बेबस पति फिर भी ले जा रहा था उसे अस्पताल,

गरीबी की रेखा के वे नीचे थे,

चार - पाँच बच्चे फिर भी उनके पीछे थे,

लगता था जब मैं उनकी पैसे नहीं थे कुछ खाने को,

क्या हुआ ! चल पड़े थे बेचारे मगर ईश्वर की देन लाने को,

शायद ऐहसान हो रहा था यह जमाने के लिए,

क्योंकि अवसर मिला था ठेलेवाले को कुछ कमाने के लिए,

कौन दोषी होगा ? इस नारी वेदना का ?

व्यक्ति, समाज या परिवार ?

या फिर पूरा देश

जिसे चाहिए नहीं ऐसे और दो हाथ

जोड़ने के लिए करोड़ों बेकार के साथ

बिहार में मुसलमानों के यहाँ गायें जानेवाले लोक-गीत

□ श्रीमती अपराजिता सिंह

(बनवीर सिंह, वरिष्ठ लेखाकार
की धर्मपत्नी)

हमारे देश में लोक गीतों की दीर्घकालीन परम्परा है। यह जन मानस से सहज ही निःसृत होकर लोक कंठ से फूट पड़ती है। यहाँ हृदय के भाव सहज रूप से प्रवाहमान होते हैं। किन्तु इसमें अलंकार, छन्द आदि का सर्वथा अभाव ही रहता है। उच्चस्तरीय साहित्य के लिए किसी विद्वान कवि द्वारा लिखे गए गीत लोक गीत के अन्तर्गत नहीं आते। लोक निर्मित व लोक प्रचलित गीत ही इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं।

किसी खास अवसर के लिए एक ही भाव से ये गीत गाये जाते हैं। लोक-गीत का प्रचार मौखिक ही होता है। भाव रक्षा का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक गीतों को लिखकर रखने की परिपाटी नहीं रही है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बाद भी इसके लेखन का व्यापक प्रचार नहीं हो सका। आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से लोक-गीतों का संग्रह नहीं हो सका है।

भारतीय मुसलमानों ने यहाँ की भाषा को अपनाया। प्रदेशों की बोली अपनायी। शनैः-शनैः यहाँ के रीति-रिवाजों को उन्होंने अपनाना शुरू किया। इस क्रम में उन्होंने लोक-गीतों को भी अपनाया। शादी-व्याह (निकाह) और जन्मोत्सवों के अवसर पर गाए जाने वाले लोक-कंठ से निःसृत होने वाले ये विमुग्धकारी गीत उनके कंठ में भी बस गए। इस अपनाने के क्रम में उन्होंने कई नए रसमों को भी अपना लिया। कई ऐसे रिवाज जो हिन्दुओं के यहाँ प्रचलित थे वे मुसलमानों के घर में भी उसी रूप में या थोड़े बदले रूप में आ गए। भाई-चारे का कितना ही मनोहारी रूप है यह। गाँव-देहात में जाने पर किसी हिन्दू स्त्री और मुसलमान स्त्री में फर्क करना मुश्किल होता है। न पहरावा का फर्क, न हाव-भाव, न भावना का फर्क। सिन्दूर, बिन्दी और चूड़ियों का शौक स्त्रियों में समान रूप से विद्यमान है। फर्क तो शिक्षित समाज में या कट्टर-पंथियों के बीच ही है जिन्हें मजहब या धर्म का विशेष ज्ञान का दम्भ है।

मुसलमानों में लोकगीत का प्रचलन मध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग तथा निम्नवर्ग में ही अधिकांशतः है। उच्च वर्ग या रईशों के यहाँ यह परम्परा नहीं पाई जाती है। कई जगह तो घर की स्त्रियों के गीत गाने पर श्रुत पावंदी भी पाई जाती है। पुरुष वर्ग यह पसंद नहीं करता कि घर की स्त्रियाँ गायें। फिर भी निकाह या बच्चे के जन्म की खुशियाँ मनाने के लिए मिराशिनों (पेशेवर गाने वाली) को बुलाकर यह शौक पूरा किया जाता है।

मुसलमानों में कव्वाली, गजल तथा नज्म गाने की प्रथा तो आदिकाल से ही रही है। पर यह शिक्षित समाज तक ही सीमित है। निकाह के अवसर पर महफिल में 'सेहरा' गाकर दिल की उमंग को

जाहिर करने का भी रिवाज है। पर यह गायकी अधिकांशतः पुरुषों के माध्यम से ही होता है। लड़की की विदाई के समय नसीहत के गीत गाये जाते हैं। ये गीत भी लोक गीत की सीमा में नहीं आते हैं। इस सन्दर्भ के गीतों के कुछ संग्रह हमें प्राप्त होते हैं, परन्तु इनकी परिमार्जित भाषा इन्हें लोक-गीत की परिधि में आने नहीं देती है।

बिहार में मुसलमानों के यहाँ गाये जाने वाले लोक-गीतों के संग्रह का एक प्रयास मैंने आरम्भ किया है। उसी को आपके सम्मुख रखने का दुःसाहस कर रही हूँ। आरम्भ में तो काफी बाधाएँ उपस्थित हो रही थीं। किसी परिवार के लोग तो सहज सहयोग देने को तैयार हो जाते हैं तो कहीं महिलाओं की स्वाभाविक झिझक आड़े आ जाती है। मुसलमान स्त्रियाँ स्वभाव से ही अत्यन्त शर्मीली होती हैं। पर्दा-प्रथा से अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई हैं। गाने में झिझक इसलिए भी होती है कि कहीं कोई (पुरुष) बाहर सुन तो न लेगा। कई महिलाएँ तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी गाने को तैयार हुईं तो कई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सकीं। कई तो मजहब की पाबंदी की बात कहकर भी मुकर गईं। पर इन पाबंदियों के बावजूद भी लोक कंठ में बसे गीत बरबस फूट ही पड़े। फिर तो इन्हें बाँधना मुश्किल रहा। हृदय के भाव जब होंठों से फूटे तो वातावरण मधुर स्वर लहरियों से गूँज उठा। मैंने भरसक प्रयास किया इन्हें इनके मूलरूप में सहेजने का और संग्रह का रूप देने का। ताकि लोक-गीत जो आज जो धीरे-धीरे उनके बीच से विस्मृत होते जा रहे हैं, वह किसी हद तक बचा रहे। अभी भी आम लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि मुसलमानों के यहाँ भी इस तरह के लोक-गीत गाने का रिवाज है।

लड़की की शादी में शादी सगाई की रश्म के समय से ही मुबारकवादी गायी जाने लगती है। निकाह की तारीख निश्चित होने के आठ दिन पहले से ही मांजा बैठाया जाता है और लड़की को हल्दी और उबटन लगाया जाता है। ज्यादातर शादियाँ ईद के समय में ही होती हैं। मुहर्रम के समय दस दिन बाद तक शादियाँ नहीं होती हैं। वैसे साल भर किसी भी मौसम में शादी हो सकती है। लड़का और लड़की दोनों की शादियों में समान रूप से गीत गाये जाते हैं।

मांजा बैठाने के बाद उबटन के गीत तथा सहाना गाया जाता है।

उबटन के गीत

(बेगुसराय से प्राप्त)

1. बाबा के खेतिया उबज गेल हे मेथिया

उबज गेल हे मेथिया।

वही रे मेथिया के उबटन सुहानी बेटी हे लगतन।

बड़ी भाग भरी हे मेथिया, सोहाग भरी हे मेथिया।

नाना के खेतिया उबज गेल हे मेथिया,

उबज गेल हे मेथिया।

वही रे मेथिया उबटन सुहानी बेटी हे लगतन।

बड़ी-भाग भरी हे मेथिया, सोहाग भरी हे मेथिया।

अब्बा के खेतिया उबज गेल हे मेथिया

उबज गेल हे मेथिया।

सहाना (ग्राम-पस्तपार, जिला-मधेपुरा से प्राप्त)

2. किधर से जे आवे जोगिया किने चली जाय ।
अरे किनके रे जोगिया असरा लगाय ।
पूरब से जे आवे रे जोगिया दक्खिन किने जाय ।
बाबा के दरबजवा रे जोगिया असरा लगाय ।

3. सहाना: लड़के की शादी (भोजपुर से प्राप्त)

सोने मुट्ठी सुइया ले ले मालिन खार भइली अगना ।
गुही देह रे मालिन दुलहवा जोग रे सेहला ।
गुहीये ओहीये मालिन खार भइली अगना ।

इसी क्रम में जोग, टोना और झूमर भी खूब गाया जाता है ।
(बेगुसराय से प्राप्त)

4. भैया कांधा कौदलिया लेहू सभे भैया
जड़ संये कोड़ी मंगाय महा जड़ी रे ।
काहे का तुमरा सिल सिलौटी ।
काहे की है ये लौढ़ी महाजड़ी रे ।
सोने का मेरा सिल-सिलौटी ।
सजे की है ये लोढ़ी महाजड़ी रे ।
पीसन बैठी सहानी ऐसी बिटिया ।
रगड़ी-रगड़ी जड़िया पीसे महाजड़ी रे ।
पिसिये-घसिये कटोरे उठा आंचल छन्दी पिलाया । महाजड़ी रे ।

बेटी की शादी अत्यन्त खुशी की बात होती है, पर बेटी पराए घर चली जायेगी और माँ-बाप का आंगन सूना हो जायेगा यह सोचकर माँ-बाप का कलेजा मुँह को आ रहा है । निम्नगीत में यह दर्द उमड़कर सामने आ रहा है —

पस्तपार, जिला—मधेपुरा से प्राप्त ।

5. कांच ही बासवा कटावे बेटी के बाबा
ऊँचे के बंगला छड़ाव हो ।
बही रे बंगला चढ़ी देखे बेटी के बाबा
के ते दल आवै बरियात हो ।

हथियों हजार आवे, घोड़वा पचास ।

रंगरतल आवे बरियात हो ।

यही सुनी बेटी के बाबा हुकले मन्डिल घर ।

ठोकी लेलकै बजरी केवाड़ हो ।

वही रे चौकठ लागी ठाढ़ी भेल 'रतन' बेटी ।

खोलू बाबा बजरी केवाड़ हो ।

आखिर बेटी की विदाई की घड़ी आ गई । माँ-बाप, भाई-बहन सखी-सहेली सबकी आँखें बरस पड़ीं :—

विदाई के गीत

(मधेपुरा से प्राप्त)

6. दादा से मिलिह बेटी ठेहुनिया धए

दादी से गरदनिया धए ना ।

सखी सबसे मिलिह बेटी चलन के बेरिया ।

आवे बेटी जइह समुरार ।

नाना से मिलिह बेटी ठेहुनिया धए ।

नानी से गरदनिया धए ना ।

सखी सबसे मिलिह बेटी चलन के बेरिया ।

अब धिया जइह समुरार ।

शादी-व्याह के अतिरिक्त बच्चे के जन्म के बाद भी खुशियां मनाई जाती हैं तथा गीत गाये जाते हैं । इस समय सोहर, सोहेला या झझना गाया जाता है ।

सोहर या सोहेला

(पटना से प्राप्त)

7. मोरी कोई दर्द न जाने ।

अरी दर्द की दाई बोलैहों,

कोई दर्द न जाने ।

ये दर्द जाने ऐजी दादी मेरी ।

ये दर्द जाने ऐजी नानी मेरी ।

पहिले दरद का होरिलबा

कोई दर्द न जाने ।

अरे पछिम जइहो

अरे पुरब हाथी जइहों ।

सोंठ पीपड़ लें अइहों,

कोई दर्द न जाने ।

झूलना (सोहर)

(पुर्णिया से प्राप्त)

8.

डेहुरी बाहर बढ़ही पुकारे
कोई ले ले पलंगा रे झूलेगा तेरा लालना ।
डेहुरी के भीतर ललना की नानी खड़ी है ।
हम लेंगे झूलना रे झूलेगा मेरा लालना ।
हम लेंगे पलंगा रे झूलेगा मेरा लालना ।
डेहुरी के बाहर बढ़ही पुकारे
कोई ले ले पलंगा रे झूलेगा तेरा लालना ।
डेहुरी के भीतर ललना की दादी खड़ी है ।
हम लेंगे पलंगा रे झूलेगा मेरा लालना ।
हम लेंगे झूलना रे झूलगा मेरा लालना ।

इन गीतों का संग्रह करने में मुझे ए० जी० ऑफिस कार्यालय के मुसलमान भाइयों का अपार सहयोग प्राप्त हुआ । इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी ।



गणित का खेल

□ शशि भूषण प्रसाद
लेखा अधिकारी

देखो भाई गणित का खेल ।
परीक्षा में गर आ जाए जीरो
तो कहलाये फेल ।
पर यदि जीरो से किसी अंक को गुणा करें
तो वह खाये दूसरों से मेल ॥

देखो भाई गणित का खेल ।
पिथागोरस ने कहा है,
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
है दो समकोण
पर यदि किसी रेखा के दोनों छोरों पर
बनायें एक-एक समकोण
ये दोनों रेखाएँ अनन्त पर मिलकर
बनाएँगे एक कोण
कहो भाई इस त्रिभुज के तीनों कोण
मिलकर हुए कितने कोण
मानो यह किसी जादूगर का है जादू का खेल
नहीं भाई यह है गणित का खेल ॥

4+4+

“विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा की हिमायत करनेवाले
जनता के दुश्मन हैं ।”

—महात्मा गांधी

हिन्दी ज्ञान दीपिका—“क” एवं “ख” के (शुद्ध रूप)

“क”

मेरी राह में रोड़े नहीं खड़े करो—यह कह वह कुशलपूर्वक घर लौट गया। इसके बाद एक-एक कर सभी चले गए। किन्तु किसी ने जाते-जाते सूचना दी कि सुरेन्द्र बाबू के लड़की हुई है। यह बात किसी से मत कहना क्योंकि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। यह जानकर उसके प्राण डर से सूख गये। धीरे से पूछा कि तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? उत्तर मिला कि तीन बजे हैं। खैर मैं तो जा रहा हूँ किन्तु तुम किसी काम में शीघ्रता न करो।

असह्य गर्मी से वह परेशान था और सोच रहा था कि सायंकाल में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करनेवाला वस्तुतः वह बड़ा छुद्र है। अब तो चालीस वर्ष की उम्र में ही बूढ़ा हो गया है, शायद इसलिए ही कहता है “कृपया धूम्रपान न करें।” अंततः जब टटोली तो लिफाफा मिला।

“ख”

हम जानते हैं, विलायत को अपने सायन्स पर नाज है। वह नाज उसे मुबारक रहे। हम भी सायन्स के करिश्में देखकर दंग हैं। वह उसी की शान है कि आज इतनी लम्बी-चौड़ी दुनिया सिमट कर हमारी मुट्ठी के भीतर आ गयी। मगर हाँ, वह मुट्ठी ही तक रही, छाती तक नहीं उतरी। आदमी को तो उसने आसमान पर उड़ा दिया पर साथ-साथ उसके दिल को ऊँचा न उठा सका। उसने बल को तो बढ़ाया, पर दिल को बढ़ने नहीं दिया। वह बढ़ता हुआ बल दिल को भी ढक लेता है।

आज क्या रवैया है?—इधर आदमी की तरक्की है, उधर आदमीयत की तबाही। इधर दिमाग का बोलबाला है, उधर दिल का दिवाला है। इधर लिफाफे की रंगीनी बढ़ रही है, उधर खत का मजमून बिगड़ रहा है। राजनीति हँस रही है, नीति रो रही है। बल ताल ठोकता है, शील कपाल ठोकता है।



राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

(वार्षिक कार्यक्रम १९९१-९२ से उद्धृत अंश)

अध्याय-२

सरकार की नीति है कि राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति, प्रोत्साहन एवं सद्भावना द्वारा की जाए। इसके अनुरूप राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य उपायों के साथ-साथ कई प्रोत्साहन योजनाएँ चालू की गईं, जो इस प्रकार हैं :-

२.१ राजभाषा शील्ड तथा ट्राफी प्रदान करने की योजना :

इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड और इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार

केन्द्रीय हिन्दी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यक्तियों को, सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्रदान करने हेतु एक योजना लागू की गई है। इस पुरस्कार का नाम “इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार” है। यह वित्तीय वर्ष 1986-87 से लागू है और इसके निम्नलिखित चार मुख्य भाग हैं —

- (क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड।
- (ख) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड।
- (ग) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड।
- (घ) व्यक्तियों द्वारा हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार।

विभिन्न पुरस्कारों के व्यौरे और इसके संबंध में अपनाई जाने वाली मूल्यांकन विधि नीचे दी जा रही है —

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड

प्रत्येक वर्ष तीन शील्डें योग्यताक्रम से भारत सरकार के उन मंत्रालयों/ विभागों को प्रदान की जाएंगी जो केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सर्वोत्कृष्ट घोषित किए जाएंगे। मंत्रालयों और विभागों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन पहले परिचालित किए गए मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) बैंकों और केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाओं के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड

तीन शील्डें उन वित्तीय संस्थाओं व बैंकों के लिए दिए जाने का प्रावधान है, जिन्होंने अपने संगठनों में राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। तीन सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं का निर्धारण करने में राजभाषा विभाग को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, जो सामान्यतः वित्तीय संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।

(ग) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड “क” “ख” और “ग” क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए तीन-तीन पुरस्कार आरंभ करने का प्रावधान है।

इन नौ संगठनों का निर्धारण करने में राजभाषा विभाग को उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से सहयोग प्राप्त होता है।

(घ) हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार

कर्मचारियों का जिन विषयों से सरकारी तौर पर संबंध हो उन पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी पुस्तकों के लिए तीन पुरस्कार प्रारंभ करने का प्रावधान है जो सर्वोत्कृष्ट घोषित हों और जिनसे विभिन्न सरकारी विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलती हो। पुरस्कारों की राशि निम्न प्रकार से है—

प्रथम पुरस्कार	—10,000 रु०
द्वितीय पुरस्कार	-8,000 रु०
तृतीय पुरस्कार	-5,000 रु०

किसी विशेष वर्ष में पुरस्कार प्रदान किए जाने के संदर्भ में विचार करने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकें उससे पिछले वित्त वर्ष में लिखी हुई अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए और कर्मचारी जिस मंत्रालय/विभाग से संबंधित हो उस मंत्रालय/विभाग द्वारा इनकी विधिवत् सिफारिश की जानी चाहिए। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की अधिक से अधिक दो ही पुस्तकों पर विचार किया जाएगा। विचार करने के लिए प्राप्त हुई पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग में गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की सिफारिशें गृह मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी।

भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने कार्य से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले उन पुरस्कारों को भी चालू रखेंगे जो इस विभाग के तारीख 28 मई 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/

6/79-रा० भा० (क-2) के परिपालन में आरम्भ किए गए थे, तथापि वे पुरस्कार प्राप्त करने वाली अपनी पुस्तकों के बारे में हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के संबंध में ऊपर पैरा 'घ' में उल्लिखित इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के लिए सिफारिश कर सकते हैं।

२.२ सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 11/12013/1/84 रा० भा० (क-2) दिनांक 25 मई 1984 के तहत जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है जो 1 अप्रैल 1988 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रोत्साहन योजना लागू कर सकते हैं।

इस प्रोत्साहन योजना में सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं। इस योजना के अंतर्गत वे अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इस नई प्रोत्साहन योजना की एक विशेषता यह है कि इसमें मूल टिप्पण व प्रारूपण के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका स्थापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे। पहले की प्रोत्साहन योजना के अनुसार ही आशुलिपि/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, तथा हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

पुरस्कार

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रति वर्ष उनके हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :—

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार) प्रत्येक 500/- रुपये
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार) प्रत्येक 300/- रुपये

तीसरा पुरस्कार (पांच पुरस्कार) प्रत्येक 150/- रुपये ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :—

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार) प्रत्येक 400/- रुपये

दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार) प्रत्येक 200/- रुपये

तीसरा पुरस्कार (पांच पुरस्कार) प्रत्येक 150/- रुपये

[कार्यालय ज्ञापन संख्या :- 11/12013/3/87-

रा०भा० (क-2)

दिनांक 16-2-1988]

2.3. विशिष्ट क्षेत्रों में मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए पुरस्कार

कुछ प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, प्रचालन कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उनके लिए भी उचित प्रोत्साहन/योजनाएं चालू किए जाने का प्रावधान है, जो संबंधित मंत्रालय/विभाग/उपक्रम आदि द्वारा शुरू की जानी चाहिए।

[का०ज्ञा० सं० 11/20015/ 35/84- रा० भा०

(क-2) दिनांक 20-11-84]

2.4 अंग्रेजी टाइपिस्टों, आशुलिपिकों को हिन्दी में भी टाइपलेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए 'प्रोत्साहन भत्ता'

मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे उन आशुलिपिकों और टाइपिस्टों को, जो अंग्रेजी आशुलिपि/टाइप जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी अपना सरकारी कार्य करते हैं, क्रमशः 60/- रुपये तथा 40/- रुपये प्रतिमास विशेष भत्ता दिया जाता है। केवल वे ही अंग्रेजी टाइपिस्ट/आशुलिपिक इस भत्ते के पात्र होंगे जो हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं। केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियां इसमें शामिल नहीं होंगी। यह विशेष भत्ता 'वेतन' नहीं माना जाएगा और इस राशि पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

[का० ज्ञा० सं० 13034/31/85—रा० भा०

(ग) दिनांक 16-7-87]

2.5 सबसे अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को पुरस्कार देने की योजना

दिल्ली के बाहर प्रमुख नगरों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और समस्याओं पर विचार करने के लिए ऐसे नगरों में जहां कम से कम 10 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों की अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रतिनिधि इन समितियों की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। हिन्दी में सबसे अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिए जाते हैं।

“कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥”

अर्थात्

“सर्वथा समर्थ अर्थात् योग्य पुरुषों के लिए कोई भी कार्य अत्यन्त गुरु नहीं होता, व्यवसायी मनुष्यों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वानों के लिए कोई देश, विदेश नहीं होता और प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई व्यक्ति पर (दूसरा) अथवा शत्रु नहीं होता ।”



“विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सबसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।
यशसि चाभिरुचिर्व्यसन श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥”

अर्थात्

“ विपत्ति में धीरज, उन्नति में क्षमा - भाव, सभा में वाणी की चतुरता (वाक्पटुता) , युद्ध में वीरता, यश प्राप्ति में विशेष रुचि, वेदाध्ययन में आसक्ति आदि गुण महात्माओं में स्वभाव से ही रहा करते हैं ।

“हिन्दी ऐसी स्वच्छ, सुस्पष्ट, सरलतर
जिसके सम नहीं है कोई भाषा भूतल पर”

—माधव शुक्ल

“हिन्दी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक
नहीं पहुँचा जा सकता।”

— डॉ. लोथर (जर्मनी)

“देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और
उत्तम अक्षर दूसरे नहीं हैं।”

प्रो. मोनियर विलियम्स

“हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में
पिरोया जा सकता है।”

महर्षि दयानन्द सरस्वती